

अध्याय-III
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय-III

अनुपालना लेखापरीक्षा

खाद्य, आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों का विभाग

3.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी

लाभार्थियों की पहचान में देरी थी। लाभार्थियों की सूची में अयोग्य और असत्यापित व्यक्ति सम्मिलित थे। अनाज ले जाने वाले वाहनों में उनकी निगरानी के लिए जी.पी.एस. यन्त्र नहीं लगे हुए थे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण के डाटाबेस के अन्तर्गत डाटा अपूर्ण थे। लाभार्थियों की पहचान और अनाज के वितरण का सत्यापन करने के लिए विक्रय स्थल मशीनें 2300 उचित दर की दुकानों में से केवल 42 दुकानों में लगी थी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एन.एफ.एस.) अधिनियम, 2013 (अधिनियम) देश की जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले भोजन की पर्याप्त मात्रा तक की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. इस अधिनियम के रा.रा.क्षे. दिल्ली में कार्यान्वयन के लिए मुख्य विभाग है।

जुलाई 2013 से मार्च 2015 की अवधि को लेते हुए अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का विभाग (विभाग) की तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए एक लेखापरीक्षा की गई। इसके लिए लेखापरीक्षा ने विभाग के मुख्यालय और बिना परिवर्तन के सम्भवता अनुपातिक आकार पी पी एस डब्लू ओ आर सांख्यिकीय नमूना विधि द्वारा चयनित नौ जिलों में से दो जिले, 70 सर्कल में से चार सर्कल (प्रत्येक चुने गए जिले में से दो सर्कल) और 16 उचित दर की दुकानों (चार दुकाने प्रत्येक चुने गए सर्कल से) के अभिलेखों की जांच की।

3.1.1 अधिनियम का कार्यान्वयन एवं जनसंख्या का कवरेज

अधिनियम की धारा 10 (1) (बी) के अनुसार राज्य सरकार को अधिनियम के शुरू (जुलाई 2013) होने के 365 दिनों के भीतर योग्य परिवारों की पहचान अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई व्यक्तियों की संख्या के अंतर्गत करनी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) ने कुल 72.78 लाख व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाने निश्चित किये थे (जुलाई 2013)। लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभार्थियों की पहचान में देरी हुई क्योंकि दिये गये 365 दिनों की समय सीमा में जून 2014 तक विभाग 23.62 लाख लाभार्थियों की पहचान कर पाया। मंत्रालय ने बाद में यह समय सीमा तीन बार और अन्तिम बार 30 सितम्बर 2015 तक के लिए बढ़ा दी। तथापि 29 जनवरी 2016 को विभाग भा.स.

द्वारा तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका क्योंकि फिर भी पहचान किए लाभार्थियों में 0.19 लाख लाभार्थियों की कमी थी। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि उन्होंने भा.स. द्वारा तय लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त किये थे तथा योग्य परिवारों को शामिल करने के लिए अयोग्य परिवारों को हटाए जाने का कार्य कर लिया गया था। तथ्य यह रहा कि विभाग निर्धारित समय सीमा की अनुपालना करने में असफल रहा।

3.1.1.1 स्तर का सत्यापन किये बिना योग्य परिवारों की सूची का अद्यतनीकरण

अधिनियम की धारा 10 (2) के अनुसार राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत निश्चित किये गये व्यक्तियों की संख्या के भीतर योग्य परिवारों की सूची का अद्यतीकरण करना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा हाँलाकि, यह पता चला कि विभाग ने 1 सितम्बर 2013 से मौजूदा ए.ए.वाई.⁴⁴ बी.पी.एल.⁴⁵ ए.पी.एल.एस.⁴⁶ (जे.आर.सी.⁴⁷ और आर.सी.आर.सी.⁴⁸) श्रेणी के अन्तर्गत परिवारों के दर्जे को अद्यतित किये बिना, उन सभी को योग्य परिवार मानते हुए, अधिनियम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि 6.27 लाख काड़ धारी जिनमें 32.39 लाख लाभार्थी थे, जिनको अधिनियम के कार्यान्वयन के शुरूआत में (1 सितम्बर 2013) पहले योग्य लाभार्थी मान लिया गया था, में से 19 अगस्त 2014 तक केवल 4.1 लाख परिवारों को योग्य पाया गया। सूची का गैर अद्यतनीकरण सहायता प्राप्त आंकड़ों का अयोग्य परिवारों को आबंटन होने के जोखिम को दर्शाता है।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि आवेदनों की बहुत बड़ी संख्या सम्भवतः प्राप्त होनी थी और एन.एफ.एस. एकट के अंतर्गत शिनाख्त और आवेदनों के सत्यापन के अधिक कार्यभार को कम करने के लिए सरकार ने मौजूदा ए.ए.वाई., बी.पी.एल., जे.आर.सी. तथा आर.सी.आर. सी. श्रेणी के अंतर्गत लाभ देने का निर्णय लिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम की धारा 10(1)(ब) प्रावधान करती है कि जब तक परिवारों की पहचान पूर्ण नहीं हो जाती तब तक अनाज का आबंटन मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत होगा न कि लाभार्थियों के दर्जे को अद्यतित किए बिना एन. एफ. एस. अधिनियम के अंतर्गत उच्च सहायता प्राप्त दरों पर।

3.1.1.2 योग्य परिवारों की पहचान के लिए मापदण्डों की गैर—अनुपालना

(i) विभाग द्वारा जुलाई 2013 में जारी किये गए दिशानिर्देश के अनुसार परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है और समूह जो भौगोलिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्तर पर कमजोर है (क्षेत्रीय सत्यापन के आधार पर) पी.आर.⁴⁹ / ए.ए.वाई. श्रेणी में शामिल करने के लिए योग्य परिवार समझे जाने चाहिए थे। योग्य परिवारों की पहचान के लिए विभाग ने सितम्बर 2013 से लोगों से आवेदन आमन्त्रित किये। लेखापरीक्षा ने देखा कि

⁴⁴अन्तोदय अन्न योजना

⁴⁵गरीबी रेखा से नीचे

⁴⁶गरीबी रेखा से ऊपर

⁴⁷द्युग्गी राशन कार्ड

⁴⁸पुर्नवास कॉलोनी राशन कार्ड

⁴⁹प्रथमता परिवार

विभाग ने गरीबी रेखा से ऊपर (गैर स्टैम्प)⁵⁰ 1.55 लाख मौजूदा परिवारों (जिनमें 5.78 लाख लाभार्थी शामिल थे) की प्रथमता परिवार श्रेणी⁵¹ के अन्तर्गत (सितम्बर 2013 और मई 2015 के बीच) पहचान की, यद्यपि ये अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले आर्थिक सहायता प्राप्त अनाज प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। इस प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत इन लाभार्थियों को स्वयं सत्यापन के आधार पर और बिना आय प्रमाणपत्र प्राप्त किये जैसा कि दक्षिण-पश्चिम व उत्तरी जिला के अन्तर्गत चुने हुए सर्कल में पाया गया, शामिल किया जाना अनियमित था।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि अधिनियम के लागू होने से पहले केवल ए.पी.एल. (गैर स्टैम्प) कार्ड बिना आय को देखते हुए जारी किये गये थे। विभाग ने आगे कहा कि फिर भी गरीब से भी गरीब और सबसे कमज़ोर लोगों को केवल ए.पी.एल. (गैर स्टैम्प) कार्ड अनाज का आबंटन किये बिना ही जारी किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं (नि.खा.व.) का वितरण ए.पी.एल.बी.पी.एल., और ए.ए.वाई. लाभार्थियों को जारी किये गये विभिन्न राशन कार्डों और वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर था। अतः सभी ए.पी.एल. (यू) कार्डधारियों को पी.आर. श्रेणी में शामिल करना सहायता प्राप्त अनाज का लाभ अयोग्य व्यक्तियों तक पहुँचने के जोखिम को बढ़ाता है।

(ii) दिशा-निर्देश के खण्ड 7 के अनुसार अधिसूचित गाँव आबादी के निवासियों के मामलों में राजस्व प्राधिकारियों का प्रमाण पत्र आवश्यक था। दक्षिण-पश्चिम जिला के अन्तर्गत दो चुने गए क्षेत्रों में से सर्कल-32, उत्तम नगर में से अधिसूचित ग्रामीण आबादी वाले दो गाँव नवादा और बिन्दापुर थे। सर्कल-36, बिजवासन में अधिसूचित ग्रामीण आबादी की सूची नहीं थी। तथापि विभाग ने अधिनियम के अन्तर्गत नए राशन कार्ड परिवारों की योग्यता का सत्यापन किए बिना और राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों के बिना जारी कर दिये, जिसके अभाव में अयोग्य परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त अनाज के वितरण से इन्कार नहीं किया जा सकता। विभाग ने (फरवरी 2016) स्वीकार किया कि व्यक्तिगत प्रमाण पत्र सभी आवेदकों से प्राप्त नहीं किया गया था।

3.1.1.3 पहचान किये गए परिवारों को राशन कार्ड

अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार नए राशन कार्ड परिवार की सबसे बड़ी महिला को जारी किए जाने थे (18 वर्ष या इसके ऊपर की आयु की महिला राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की मुखिया होगी)। तथापि नए राशन कार्डों के पी.आर. और ए.ए.वाई. श्रेणी के परिवारों को वितरण से संबंधित सूचना जैसे कि नए राशन कार्ड, राशन कार्ड वास्तव में जारी किये, बचे हुए राशन कार्डों का कारण विभाग के पास नहीं था। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि जारी ना किये गये कार्डों की सही संख्या संकलित नहीं की जा सकी, तथापि लाभार्थियों को कार्ड सुपुर्द कर दिये गये थे और कोई भी कार्ड विभाग ने नहीं रखा था। नए राशन कार्डों की सूचना के अभाव में कोई आश्वासन नहीं था, कि लाभ योग्य पी आर और ए ए वाई परिवारों तक पहुँच रहा था।

⁵⁰गरीबी रेखा से ऊपर (गैर स्टैम्प)— सिटिजन चार्टर के अनुसार परिवार जिनकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख रुपये से ऊपर है को गैर स्टैम्प एपी एल कार्ड दिये गये थे।

⁵¹प्रथमता परिवार श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थी प्रत्येक सदस्य 4 कि.ग्रा. गेहूँ व 1 कि.ग्रा. चावल के लिए हकदार है।

3.1.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) में सुधार

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारें टी.पी.डी.एस. में आवश्यक सुधारों के लिये निरन्तर प्रयास करेंगी। सुधारों में अन्य बातों के साथ—साथ राशन की दुकानों के दरवाजों तक अनाज की सुपुर्दगी, सूचना एवं संचार प्रोटोकॉलों का उपयोग, हर स्तर पर पारदर्शी लेन—देनों के अभिलेखों को आश्वस्त करने के लिए शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण को सुनिश्चित करना, अनाज के विपथन को रोकना और हर स्तर पर लेन—देन के अभिलेखों की पारदर्शिता शामिल होगी। भारत सरकार ने 'टी.पी.डी.एस. के लिये शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण' कार्यान्वयन दिशानिर्देश (सितम्बर 2013) जारी किये जिसमें राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस का अंकीकरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शी पोर्टल को स्थापित करना और शिकायत निवारण पद्धति को स्थापित करना शामिल था। लेखापरीक्षा ने टी.पी.डी.एस. में सुधारों की स्थिति का मूल्याकांन किया और निष्कर्षों की आगे के उप—पैराओं में चर्चा की गई है।

3.1.2.1 दरवाजे तक सुपुर्दगी

भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को अनाज के मासिक आबंटन के लिए विभाग माँग—पत्र देता है और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डी.एस.सी.एस.सी.) को अनाज उठाने और ठेकेदारों द्वारा सम्बन्धित दुकानों तक सुपुर्द करने के लिए अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि सभी चल रही 2300 दुकानों के दरवाजे तक अनाज की सुपुर्दगी की जा रही थी। तथापि, अनाज ले जा रहे वाहनों में जीपीएस यन्त्र अनाज की निगरानी रखने के लिए स्थापित नहीं थे, जैसा कि डी.एस.सी.एस.सी. और ठेकेदार के बीच अनुबंध के अनुसार जरूरी था। इस तरह जहाँ तक अनाज ले जाने वाले वाहनों की निगरानी का सम्बन्ध है, विभाग की तैयारी में कमी थी। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि डी.एस.सी.एस.सी. द्वारा वाहन में जीपीएस लगाना प्रक्रियाधीन था।

3.1.2.2 आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन का कम्प्यूटरीकरण

भारत सरकार के दिशा—निर्देश बताते हैं कि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदाम से राशन की दुकानों तक स्टॉक चलन रिपोर्ट के साथ मात्रा निर्गमन आदेश, सुपुर्दगी चालान इत्यादि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराने चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. का सार्वजनिक वितरण आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन के लिए एक ई.पी.डी.एस.सी.एम. पोर्टल था, जिसपर लेन—देनों को केवल विभागीय अधिकारियों की लॉग—इन—आई.डी. से ही देखा जा सकता था लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार सामान्य जनता के लिए अनाज की प्राप्ति एवं वितरण की सूचना वास्तविक समय में उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि यद्यपि अनाज की सुपुर्दगी प्रक्रिया का विवरण सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था किन्तु सभी हिस्सेदारों को उचित दर दुकान पर अनाज की मात्रा, वाहन संख्या, गोदामों से प्रेषण का निर्दिष्ट समय और दिनांक को दर्शाते हुए एस एस भेजे जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्टॉक चलन रिपोर्ट के साथ मात्रा निर्गमन

आदेश, डिलीवरी चालान इत्यादि एफ.सी.आई. गोदाम से उचित दर दुकानों जैसा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत परिकल्पित किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी।

3.1.2.3 उचित दर दुकानों का गैर-स्वचालन

दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 के रा.रा.क्षे.दि.स. के कैबिनेट निर्णय के अनुसार टी.पी.डी.एस. का शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण में उचित दर दुकानों की बायो-मेट्रीक प्रणाली जोकि विक्रय केन्द्र मशीनों पर आधारित हों, द्वारा स्वचालन की आवश्यकता है। तथापि मार्च 2015 तक 2300 उचितदर दुकानों में से केवल 42 दुकानों में ही विक्रय केन्द्र मशीनें लगी थीं। अन्य उचित दर दुकानों पर लाभार्थियों के राशन का वितरण मैनुअल प्रणाली द्वारा किया जा रहा था। खाद्य वितरण अधिकारी (सर्कल 15, उत्तरी जिला) ने बताया कि जहाँ विक्रय केन्द्र मशीनें लगी थीं, वे भी कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही थीं और न ही उपयोग करने वाले के लिए आसान थीं क्योंकि इनकी बैटरी लाइफ कमज़ोर थी, अंगु़ली के निशान बेमेल थे और नेटवर्क की समस्या थी। इस प्रकार सभी दुकानों पर विक्रय केन्द्र मशीनें स्थापित न किये जाने के कारण योग्य अनाज के वितरण के लिए लाभार्थियों की पहचान के सत्यापन का आश्वासन नहीं था। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि विक्रय केन्द्र मशीनों की खरीद की निविदा प्रक्रिया अंतिम स्थिति में थी और सभी राशन की दुकानों में लगने वाली थी।

3.1.3 पारदर्शिता एवं उत्तरदेही

अधिनियम की धारा 29 राज्य/संघ शासित प्रदेश, जिला, क्षेत्र तथा राशन की दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन की बात करती है जिससे टी.पी.डी.एस. के उचित कार्य तथा इस प्रणाली में सार्वजनिक अधिकारियों की उत्तरदेही सुनिश्चित हो। हॉलाकि लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो राज्य स्तर पर न ही चुने हुए जिला व राशन की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समिति का गठन हुआ था। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि राज्य, जिला स्तर पर सतर्कता समिति का गठन प्रक्रियाधीन था। तथापि राशन की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन के सम्बंध में विभाग का उत्तर कुछ नहीं कहा गया जो विभिन्न अधिकारियों की पारदर्शिता व उत्तरदेही को आश्वस्त करने में लापरवाही को दर्शाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.2 दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 2.76 करोड़ का अधिक भुगतान

जल दोहन प्रणाली (डब्ल्यू एच एस)/जल संशोधन संयंत्र (डब्ल्यू टी पी) के संस्थापन पर ₹ 37.82 लाख का व्यय करने के बावजूद भी दिल्ली सरकार के सात अस्पताल/संस्थान अपने पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट लेने में असफल रहे, परिणामस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 2.76 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने दिसम्बर 2009 में सरकारी संस्थानों/कार्यालयों को यदि वो जल दोहन प्रणाली और/या अपशिष्ट जल के लिए रिसाईकिंग प्रणाली को अपनाते

हैं जनवरी 2010 से पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रा.रा.क्षे.दि.स. ने दि.ज.बो. के इन आदेशों को मार्च 2010 में सरकारी अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों को इन निर्देशों के साथ पृष्ठाकिंत किया कि जल दोहन प्रणाली को लगाकर तथा/या अपशिष्ट जल की रिसाईविलग कर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ लें।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2014 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 2) के पैराग्राफ 3.3 में पहले ही इंगित किया था कि सात सरकारी अस्पताल अपने परिसर में जल दोहन प्रणाली और/या अपशिष्ट जल रिसाईविलग की प्रणाली के संस्थापन होने के बावजूद भी 15 प्रतिशत की छूट का लाभ लेने में विफल रहे तथा उन्होंने ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसा होने पर भी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम नहीं उठाये कि अस्पताल दि.ज.बो. से मामले पर बात करें और अपने पानी के बिलों पर उपलब्ध छूट प्राप्त करे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि जल दोहन और/या अपशिष्ट जल शोधन रिसाईविलग संयंत्रों के संस्थापन पर ₹ 37.82 का लाख व्यय करने के बावजूद, सात सरकारी अस्पताल/संस्थान⁶² जनवरी 2010 से अगस्त 2015 तक की अवधि में अपने जल के बिलों पर ₹ 2.76 करोड़ की छूट का लाभ लेने में विफल रहे।

मामला सितम्बर 2015 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.3 सौर जल तापन प्रणाली पर निष्फल व्यय – ₹ 1.39 करोड़

दो सरकारी अस्पतालों के भवन में ₹ 1.96 करोड़ की लागत से सौर जल तापन प्रणाली लगायी गयी। संस्थापन के पश्चात् प्रणाली की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कमजोर योजना एवं कोई व्यवस्था के न होने के कारण प्रणाली का एक बड़ा भाग कार्य करने के तीन साल के भीतर ही खराब हो गया, परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

दिनांक 24 अप्रैल 2006 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में सौर जल तापन प्रणाली का उपयोग अनिवार्य है। इन अनुदेशों के अनुपालन में, दो सरकारी अस्पतालों—लोक नायक अस्पताल तथा गुरु तेगबहादुर (जी.टी.बी.) अस्पताल में सौर जल तापन प्रणाली (एस डब्ल्यू एच एस) नवम्बर 2008 से फरवरी 2010 के दौरान लगायी गयी। प्रणाली के संस्थापन एवं मरम्मत से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा कार्य—स्थल के भौतिक निरिक्षण ने निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

⁶²(1) राव तुला राम अस्पताल, (2) आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल, (3) संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल, (4) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, (5) जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल, (6) इस्टिट्यूट ऑफ इम्प्रेयर एंड अलाइड साईंसेज तथा (7) इस्टिट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाईलरी साईंसेज। भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के 2014 के प्रतिवेदन में ये उल्लेखित नहीं थे।

(क) लोक नायक अस्पताल

31 मार्च 2009 को अस्पताल द्वारा स्वीकृत ₹ 82.69 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति के प्रति, (ए.ए. एण्ड इ.एस.) लो.नि.व ने निजी आपूर्तिकर्ता से 24 एस डब्ल्यू एच एस ₹ 47.37 लाख की लागत से प्राप्त किये तथा ₹ 36.51 लाख अन्य संबंधित मदों जैसे—पाईपलाईन, आदि पर व्यय किया। प्रणाली फरवरी 2010 में लगायी गयी, परन्तु अप्रैल 2012 में इसे चालू किया गया। इन प्रणालियों का लेखापरीक्षा, लो.नि.वि. तथा अस्पताल के प्रतिनिधियों द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया (अगस्त 2015)। जिसने पाया गया कि अस्पताल में लगाए गए 10 एस डब्ल्यू एच एस (30 सेट्स) में से केवल 2 एस डब्ल्यू एच एस (9 सेट्स) आंशिक रूप से कार्यरत थे। शेष प्रणालियाँ (85 प्रतिशत) कार्य करने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर ही खराब हो गई यद्यपि, एस डब्ल्यू एच एस की सामान्य आयु 15 वर्ष है। इस प्रकार, इन क्षतिग्रस्त एस डब्ल्यू एच एस के संस्थापन पर ₹ 71.30 लाख⁵³ का व्यय निष्फल हो गया।

अस्पताल ने एस डब्ल्यू एच एस को क्रियाशील बनाने में आधारभूत संरचना के निर्माण, उपयुक्त जल संपर्क, ओवर हेड टैंक तथा वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराने को एस.डब्ल्यू.एस.एच. के विलम्ब से चालू करने का कारण बताया (सितम्बर 2015)। इसने कहा कि प्रणाली की क्षति प्रणाली लगाने के समय सुरक्षा एनक्लोजर मुहैया न कराया जाना, कुछ बदमाशों के द्वारा नुकसान किये जाने एवं भारी तूफान के करण हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना स्तर पर ही प्रणाली की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना अस्पताल का उत्तरदायित्व है।

(ख) जी टी बी अस्पताल

अस्पताल ने दो निजी आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 46.79 लाख की लागत से 15 एस डब्ल्यू एच एस खरीदे (नवम्बर 2008 एवं मई 2009) तथा ₹ 32.75 लाख (70 प्रतिशत) का भुगतान दिया। अस्पताल ने लो.नि.वि. को भी इन एस डब्ल्यू एच एस के लिए वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराने, संस्थापन करने एवं वितरण जाँच करने तथा आकस्मिक, एक्स-रे, ओ टी ब्लॉक एवं वार्ड ब्लॉक में अतिरिक्त एस डब्ल्यू एच एस उपलब्ध कराने एवं लगाने हेतु ₹ 1.02 करोड़ की ए ए एण्ड इ एस (अगस्त 2010 एवं मार्च 2011) दे दी। लो.नि.वि. ने स्वीकृति के निमित ₹ 79.44 लाख का व्यय किया। लेखापरीक्षा ने जी टी बी अस्पताल तथा लो.नि.वि. के कर्मचारियों के साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया (अगस्त 2015) तथा केवल 35 से 40 प्रतिशत एस डब्ल्यू एच एस को कार्यरत पाया जबकि शेष किफायती मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त थे। इस प्रकार, ₹ 67.32 लाख, (₹ 112.19 लाख का 60 प्रतिशत) का व्यय अस्पताल के भवन में लगाए गए एस डब्ल्यू एच एस की बचाव व सुरक्षा की योजना एवं प्रबंध करने में अस्पताल की विफलता के कारण निष्फल हो गया।

⁵³ (₹ 47.37 लाख + ₹ 36.51 लाख) का 85 प्रतिशत

अस्पताल ने कहा कि प्रणाली की क्षति मई 2014 एवं 2015 में आये तूफान के कारण हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एस डब्ल्यू एच एस की सुरक्षा एवं संरक्षणता के लिए संरक्षणता एनक्लोजर्स मुहैया कराने के लिए प्रारंभिक योजना का भाग होना चाहिए था।

यह मामला अक्टूबर 2015 में सरकार को भेजा गया, उत्तर अब तक प्रतीक्षित है (मार्च 2016)

3.4 परिवर्धित अकादमिक भत्ते पर ₹ 76 लाख का अनियमित व्यय

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान की शासी परिषद ने बिना रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परामर्श के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने कार्मिकों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तुल्य वेतन संरचना को अपनाया। संस्थान ने बिना सरकार के परामर्श से अपने संकाय—सदस्यों के लिए अकादमिक भत्ता भी ₹ 1000 से ₹ 10000 प्रतिमाह बढ़ा दिया, परिणामस्वरूप ₹ 76 लाख का अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय हुआ।

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (संस्थान) का सोसाईटी के रूप में पंजीकरण 16 मई 2006 को सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन किया गया। संस्थान की मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास एवं सामुदायिक सेवा कार्यक्रम पर जोर देते हुए क्षेत्र के सभी तरह के कैंसर रोगियों को अल्ट्रा—मॉडर्न व्यापक डाइग्नोसिस तथा इलाज की सुविधाएँ मुहैया कराना है। संस्थान अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत नियमों, विनियमों तथा उप नियमों, पैटर्न ऑफ असिस्टेंस तथा स्वायत संस्थानों के संबंध में समय—समय पर लागू सरकार के नियमों के अनुसार करता है। संस्थान के कोष का मुख्य खोत स्वीकृत पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान है।

संस्थान को दी जाने वाली सहायता अनुदान को शासित करने वाली पैटर्न ऑफ असिस्टेंस का 'खण्ड 12—सामान्य शर्त' अनुबंध करता है कि संस्थान की शासी परिषद के द्वारा पद सृजन करने से पहले रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से स्वीकृति ली जानी चाहिए। संस्थान अपने कर्तव्य का उचित ढंग से व दक्षता पूर्वक निर्वहन करने के लिए जितना आवश्यक हो कार्मिकों की नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि संस्था के ज्ञापन में वर्णित है। उनके वेतन व भत्ते का निर्णय दिल्ली सरकार के परामर्श से संस्थान की शासी परिषद द्वारा किया जाएगा। अभिलेखों की लेखापरीक्षा की संवीक्षा ने दर्शाया कि संस्थान की शासी परिषद ने एम्स पैटर्न के अनुसार पुनरीक्षित वेतन नियम, 2008 को संशोधन, यदि कोई हो, के साथ अपनाने की स्वीकृति दी (05 दिसम्बर 2012)। तदनुसार, संस्थान ने अपने कार्मिकों की वेतन संरचना छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के परामर्श के बिना पुनरीक्षित कर दी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि संस्थान के निदेशक ने दिनांक 27 नवम्बर 2013 के कार्यालय आदेश के अनुसार अपने संकाय—सदस्यों के लिए अकादमिक भत्ता ₹ 1,000 से ₹ 10,000 प्रतिमाह 01 सितम्बर 2008 से पूर्व के प्रभाव से बढ़ा दिया। इस बार भी, संस्थान ने वित्त

विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से इस मामले में परामर्श नहीं किया। संकाय सदस्यों को सितम्बर 2008 से अक्टूबर 2013 तक की अवधि की बकाया राशि का भुगतान नवम्बर एवं दिसम्बर 2013 माह में कर दिया गया। इस प्रकार, संस्थान द्वारा अपने संकाय—सदस्यों को ₹ 76 लाख (मई 2015 तक) के परिवर्धित अकादमिक भत्ते का भुगतान अनियमित तथा अनाधिकृत था, क्योंकि इससे रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित व स्वीकृत पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

संस्थान ने कहा (जून 2015) कि शासी परिषद के निर्णय के अनुसार, संस्थान के संकाय—सदस्य के लिए एम्स के संकाय—सदस्यों के समान वेतन संरचना अपनायी गयी तथा अकादमिक भत्ते का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक, दिल्ली राज्य कौसर संस्थान) द्वारा लिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस का खण्ड 12 विशेष रूप से वर्णन करता है कि शासी परिषद को संस्थान के कार्मिकों के लिए वेतन एंव भत्ते का निर्धारण करने के लिए दिल्ली सरकार से परामर्श करना चाहिए।

मामला अक्टूबर 2015 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

गृह विभाग

3.5 दिल्ली यातायात पुलिस (दि.या.पु.) में ई- चालान प्रणाली का कार्यान्वयन

ई- चालान प्रणाली डाटा विसंगितयों, इनपुट नियंत्रण की कमी और एकीकृत डाटा की अखंडता की कमी का सामना कर रही थी। अदालत के चालानों के संबंध में अदालत के फैसले को प्रणाली में अद्यतन नहीं किया गया। हाथ से चलने वाले उपकरण में क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के लिए सुविधा नहीं थी। कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण और प्रणाली में कमी के परिणामस्वरूप काटे गये चालानों की संख्या और राशि दोनों में ही अनुरूपता नहीं थी।

3.5.1 प्रस्तावना

दिल्ली यातायात पुलिस (दि.या.पु) का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यातायात को सुरक्षित और निर्बाध प्रवाह प्रदान करके दिल्ली में यातायात अनुशासन बनाए रखना है। सड़कों पर यातायात अनुशासन 53 सर्कल के माध्यम से यातायात के नियमों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू कर बनाए रखा जाता है। इससे पहले, गलती करने वाले वाहनों और उनके मालिकों का संबंधित अपराध का चालान, पेपर चालान द्वारा किया जाता था, चालान बही थोक में हर सर्कल को नगद व् अदालती चालान हेतु जारी की जाती है। नगद चालान अपेक्षित दंड राशि भरने पर स्थान पर ही निपटा दिए जाते हैं। अदालती चालानों का निपटारा अदालत में किया जाता है।

वास्तविक समय में यातायात नियमों के उल्लंघन के अभियोजन, अभियोजन रिपोर्ट के जारी करने, आभ्यासिक अपराधियों के अभियोग और डाटा रखरखाव के लिए एक प्रणाली हेतु दि.या.पु ने मैन्युअल चालान प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक्स चालान प्रणाली में परिवर्तित किया।

3.5.1.1 ई-चालान आरंभ करने के उद्देश्य

ई चालान प्रणाली को लागू करने के उद्देश्य थे :

- 24 × 7 के आधार पर यातायात उल्लंघन के लिए चालान जारी करना;
- यातायात सर्कल/उल्लंघन/उल्लंघन करने वालों की सभी गतिविधियों से संबंधित विवरण का रखरखाव करना।
- जब भी आवश्यक हो यातायात प्रबंधन के अधिकारियों को अपेक्षित संरचित/असंरचित जानकारी प्रदान करना।
- प्रशासनिक उपयोग और उल्लंघन करने वालों के अभियोजन के मामलों में यातायात यूनिट के क्रियाकलाप के लिए विभिन्न सांविधिक रिपोर्टों का सृजन करना और क्षेत्र में अधिकारियों के कामकाज की निगरानी करना; एवं
- प्रणाली को यातायात पुलिस की पहुँच एवं दिन प्रतिदिन के कार्यों में सूचना के उपयोग हेतु अत्याधुनिक हार्ड वेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना व एकीकृत करना।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988, के अनुसार परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार रा.रा.क्षे. दिल्ली में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। कार्मिकों की कमी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने अधिनियम की धारा 177 से 198 के तहत अपराधों के संबंध में अपने संयुक्त शक्तियों को दि.या.पु. के साथ साझा करने का फैसला किया (दिसंबर 1998)। तथापि दि. या. पु. के अधिकारियों को इन संयुक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाली इस अधिसूचना में ऐसा कोई खण्ड इस बारे में नहीं था कि चालान से प्राप्त राजस्व दि.या.पु. द्वारा भारत सरकार या रा.रा.क्षे.दि.स. की संचित निधि में कैसे और कहाँ जमा किया जायेगा। किसी तौर-तरीकों के अभाव में दि.या.पु. ने काटे गये चालानों से प्राप्त राशि गृह मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य शीर्ष 0055-पुलिस, 103-एफ.एफ.एफ. में जमा कर दी चूँकि दिल्ली पुलिस अपना वार्षिक आवंटन गृह मंत्रालय के बजट के माध्यम से प्राप्त कर रही थी।

नवंबर 2008 में, परिवहन विभाग ने दि.या.पु. को निर्देश दिया कि काटे गये चालानों द्वारा राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0041-वाहनो पर कर, 101-आई एम वी (शुल्क एवं जुर्माना) रा.रा.क्षे.दि.स. में जमा कराएं क्योंकि यह प्राप्तियां उनसे संबंधित हैं। उत्तर में, गृह मंत्रालय (मई 2012) ने शीर्ष के बदलाव के लिए अपनी मंजूरी की जानकारी दी। सभी तौर तरीकों पर काम करने के बाद, दि.या.पु. ने परिवहन विभाग से संबंधित मुख्य शीर्ष में काटे गये चालान की राशि जमा (नवंबर 2013) करना शुरू कर दिया। 2012-13 से 2014-15 के दौरान दि.या.पु. द्वारा काटे गये चालानों से प्राप्त राजस्व नीचे दी गई तालिका 3.5.1 में दिखाया गया है:

तालिका 3.5.1 : काटे गए चालान से प्राप्त राजस्व (2012-15)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मु.शी.-0055 (भा.स.) में जमा की गई राशि	मु.शी.- 0041 (रा.रा.क्षे.दि.स.) में जमा की गई राशि
2012-13	52.94	0
2013-14 (01 अप्रैल-18 नवंबर 2013)	40.53	0
2013-14 (19 नवंबर 2013 से 31 मार्च 2014)	0	22.72
2014-15	0	76.42
योग	93.47	99.14

3.5.1.2 लेखा-परीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने दि.या.पु. की ई-चालान प्रणाली का वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक का आकलन दि.या.पु. मुख्यालय एवं पांच अन्य सर्कल⁵⁴, जिनका चयन वाहनो की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर आधारित था, में किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफस में दिए गए हैं।

⁵⁴कापसहेड़ा (के एच सी), नरेला (एन सी), कल्याणपुरी (के पी सी), सीमापुरी (एस पी सी) एवं सरिता विहार (एस वी सी)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

दि.या.पु. ने (दिसंबर 2012) एक वेण्डर की सेवाएं ली जिसकी कुल लागत ₹ 14.25 करोड़ थी। दि.या.पु. ने वेण्डर द्वारा स्थापित की गई प्रणाली को तीन वर्ष अर्थात् 18 नवंबर 2016 तक स्वीकृत कर लिया (नवंबर 2013)। प्रणाली के अनुसार, चालान हाथों से चलने वाले उपकरण के माध्यम से अपराध के मौके पर किया जाता है और सूचना एक साथ मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) तकनीक के माध्यम से केंद्रीय सर्वर और सर्कल सर्वर के लिए चली जाती है। हाथ से चलने वाले उपकरण जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) के माध्यम से सर्कल सर्वर के साथ ही केंद्रीय सर्वर से जुड़े होते हैं। ठेकेदार तीन साल की अवधि के लिए समस्त कार्य प्रणाली व प्रणाली के समस्त घटकों के सामान्य रखरखाव हेतु जिम्मेदार था।

अनुबंध के अनुलग्नक 1 के खण्ड 2 (एन) अनुसार, ठेकेदार सोल्यूशन, एक प्रणाली की स्थापना करेगा जिसमें आवश्यक समझे जाने वाले व्यर्थ सर्वर एवं अन्य उपकरण व उपाय समिलित होंगे। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि केवल 43 सर्कल को सर्वर, लेजर प्रिंटर, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कीबोर्ड और माउस के साथ डंब टर्मिनल प्रदान किये गये। 10 बकाया सर्कल को (अगस्त 2014 में नव गठित) ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इस अभाव में सर्कल उत्तरों व स्थिति रिपोर्ट हेतु स्वयं का डाटाबेस उत्पन्न नहीं कर सके। तथापि चालान उपयोग कर्ता द्वारा चुने गए निकट के सर्कल पर अपलोड किये जा रहे थे।

3.5.2 न्यायालयी निर्णयों का अद्यतन ना होना

'एक्सप्रेशन ऑफ इन्ड्रेस्ट' के खण्ड 3.38 के अनुसार हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण में उचित स्क्रीन का उपयोग करके, न्यायालय के अंतिम निर्णय (जैसे बरी कर दिया गया, लगाया गया जुर्माना, चेतावनी तथा कारावास की सजा आदि) के दर्ज करना भी संभव होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि न्यायालय के अंतिम निर्णय को अद्यतन करने के लिए प्रणाली में एक प्रावधान है, हालांकि इसे प्रणाली में अद्यतन नहीं किया जा रहा था। प्रणाली में अदालत के फैसले के अद्यतन न करने के कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार, दि.या.पु., प्रणाली में अपराधियों के पूरे अभियोजन इतिहास रखने और यातायात नियमों के उल्लंघन के अभ्यस्त अपराधियों के लिए परिवर्धित सजा को सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था।

3.5.3 बैंक के साथ गैर-एकीकरण

अनुबंध के अनुलग्नक I के खंड 6 (आर) के अनुसार, एपलिकेशन सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भुगतान की अनुमति होनी चाहिए। इसके लिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के लिए हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण में एक अंतर्निहित सुविधा होनी चाहिए। हालांकि यह सुविधा शुरू नहीं हो सकी क्योंकि वेंडर ने अपेक्षित हार्डवेयर की आपूर्ति नहीं

की जबकि अक्टूबर 2013 में वेंडर ने इस आशय का शपथ पत्र भी दिया था। तब दि.या.पु.ने प्रणाली को 18 जून 2014 को वेंडर के आश्वासन पर कि वह डेबिट या क्रेडिट कार्ड सुविधा वाले ई-चालान उपकरण की आपूर्ति करेगा, सशर्त स्वीकार कर लिया। दि.या.पु.द्वारा प्रदत्त सूचना के (जुलाई 2015) अनुसार वेंडर ने स्वाइप सुविधा युक्त उन्नत हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरणों की आपूर्ति नहीं की। इस सम्बन्ध में कोई जुर्माना खण्ड भी मौजूद नहीं था, अतः खण्ड के नियम व शर्तें न माने जाने पर भी दि.या.पु., जुर्माना लगाने की स्थिति में नहीं थी।

3.5.4 नकद चालानों में समानता न होना

पाँच चयनित सर्किलों से संबंधित केंद्रीय सर्वर के आंकड़ों की लेखापरीक्षा विश्लेषण ने 16 नवम्बर 2013 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान 4,90,776 नगद चालान दर्शाए गए। तथापि इन सर्कल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान इन सर्किलों द्वारा 6,37,410 नगद चालान किए गए तथा 1,46,634 चालान के अंतर का मिलान करना बाकी था। दि.या.पु. ने (जनवरी 2016) कहा कि आंकड़ों के दो सेटों के बीच के अंतर के कारण ये थे—(i) जब अभियोजन अधिकारी नए सर्कल में स्थानांतरित हो जाता है तब भी वह अपने पुराने सर्कल में पंजीकृत आई.डी. द्वारा ही चालान रिकार्ड करता रहता है⁵⁵, जब तक कि नए सर्कल में नयी आई.डी.पंजीकृत न हो जाए (ii) जब ई-चालान उपकरण खराब हो जाता है तब इसे ठीक करने में कुछ समय लगता है। इस प्रक्रिया में जो लंबित डाटा डिवाइस में उपलब्ध होता है उसे कनेक्टिविटी समस्या के कारण केन्द्रीय सर्वर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः वह नष्ट हो जाता है व दुबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः, आंकड़ों में अंतर, दि.या.पु. में ई-चालान प्रणाली के कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण एवं उपकरण खराब होने की स्थिति में डाटा को संरक्षित रखने की प्रणाली में कमी, दोनों की वजह से था।

3.5.5 नकदी शेष में अंतर

यातायात मुख्यालय की कैश शाखा में संबंधित सर्कल द्वारा एकत्र अभियोजन राशि रोड प्रमाणपत्र (आरसी) द्वारा अगले दिन जमा किया जाता है। नगद शाखा इन्हें उसी दिन बैंक में जमा कर देती है और सरकारी खाते में जमा राशि की पुष्टि करने के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मासिक शेष मिलान करती है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि दो चयनित सर्कल⁵⁶ की रोकड़ बही में जहाँ ₹ 3.99 लाख अधिक थे वहीं तीन सर्कल⁵⁷ में आंकड़ों की तुलना में ₹ 7.48 लाख कम थे। इस प्रकार ‘ई-चालान प्रणाली’ होने के बावजूद दि.या.पु. के केन्द्रीय सर्वर द्वारा दर्शाए गई राशि जो कि उल्लंघनकर्ता से प्राप्त की गई व अभियोजन अधिकारियों द्वारा सर्कल में जमा कराई गई थी, के प्रति सत्यापन हेतु कोई तंत्र नहीं था।

⁵⁵नकद राशि नए सर्कल में जमा कराई गई, जबकि अभियोजन डाटा पुराने सर्कल के सर्वर को जाता रहा।

⁵⁶नरेला एवं सरिता विहार

⁵⁷कापसहडा, कल्याणपुरी और सीमापुरी

3.5.6 प्रणाली का अप्रभावी कार्यान्वयन और संचालन

(i) प्रणाली की कमियाँ

पांच चयनित सर्कलों के डाटा विश्लेषण द्वारा प्रणाली में निम्न कमियों का पता चला:

- प्रणाली एक ही चालान के लिए दूसरा चालान नंबर भी स्वीकार कर लेता है। 4,90,776 नकद चालान में से सात चालान दो बार दर्ज किए गए थे। यह इनपुट नियंत्रण की कमी का संकेत है।
- यदि उल्लंघनकर्ता अपेक्षित जुर्माना राशि दे देता है, तो नकद चालान मौके पर ही निपटा दिए जाते हैं। हालांकि, पाँच सर्कल द्वारा किए गए 4,90,776 नकद चालानों में से 11 चालान बिना किसी राशि के थे, जैसाकि केंद्रीय सर्वर द्वारा दिखाया गया।
- अदालती चालान के मामलों में, अदालत अपराध के लिए दंड राशि निर्धारित करती है, एकत्र करती हैं व राजकोष में जमा करती है। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रणाली अदालती चालानों में भी नकद राशि स्वीकार कर रही थी। 66,324 अदालती चालानों में से 26,729 चालानों में नकद राशि दिखाई गई थे, जैसा कि केंद्रीय सर्वर द्वारा दर्शाया गया जो की प्रक्रिया की विफलता को दर्शाता है।
- प्रणाली एक साथ अलग-अलग हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरणों में एक ही यूजर आई.डी को स्वीकार कर लेती है। उपयोगकर्ता एक समय पर एक हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण में लॉगिंग करने तक सीमित नहीं है। जो मूल रूप से एक प्रणाली सुरक्षा समस्या है।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत निलंबित वाणिज्यिक वाहनों के परमिट की स्थिति अद्यतन करने का काम और हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरणों पर चेतावनी, जून 2015 तक आरंभ नहीं की गयी थी।

(ii) कूटबद्ध न किये गये पासवर्ड

यद्यपि, पासवर्ड ई-चालान सिस्टम में कंप्यूटर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह वेंडर या दि.या.पु. द्वारा तैयार नहीं किया गया था। एक पूर्व निर्धारित अवधि के बाद वर्तमान पासवर्ड का खत्म होना और पूर्व निर्धारित समय के पश्चात वर्तमान पासवर्ड को बदलने की सुविधा प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी। इस तरह की जांच के अभाव में, पांच चयनित सर्कलों में, उपयोगकर्ता वेण्डर द्वारा नवम्बर 2013 में प्रणाली के शुरुआत के समय आवंटित पास वर्ड प्रयोग कर रहे थे। ई-चालान प्रणाली में पासवर्ड गैर अल्फा न्युमैट्रिक थे व कूटबद्ध नहीं किये गये थे, जो कि वेंडर द्वारा भी देखे जा सकते थे। व्यवस्था में यह कमी अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण के दुरुपयोग और आंकड़ों में हेरफेर के जोखिम को बढ़ाती है।

(iii) आईटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा नीति का गैर-सूत्रीकरण

तार्किक पहुँच नियंत्रण को संगठन एवं उपयोग किये गए सॉफ्टवेयर उत्पाद में परिमाण एवं पद्धति दोनों ही के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य कम्प्यूटर संसाधन डाटा,

प्रोग्राम एवं टर्मिनल की अनाधिकृत पहुँच से रक्षा करना है। हालांकि, दि.या.पु. ने अपने आईटी परिसंपत्ति, सॉफ्टवेयर और डाटा के लिए किसी भी आईटी सुरक्षा नीति को तैयार नहीं किया था। परिसंपत्तियों को एक सुरक्षित कमरे में स्थापित नहीं किया गया। बल्कि उन्हें इंस्पेक्टर या अन्य कार्यालय के कर्मचारियों के कमरे में रखा गया था, इस प्रकार डाटा सुरक्षा को जोखिम में डाला गया था।

(iv) आपदा रिकवरी योजना का अभाव

अनुबंध की धारा 15.8 के अनुसार ठेकेदार मौजूदा और नए लिए गए वास्तविक समय डाटा की सुरक्षा, रक्षा एवं अखंडता को सुनिश्चित करेगा और सम्पूर्ण डाटा दिल्ली यातायात पुलिस की संपत्ति होगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा की डाटा बैकअप वेण्डर द्वारा लिया जा रहा था। डाटा बैकअप लेने की आवृत्ति, उसके भंडारण और परीक्षण की आवृत्ति का अभिलेख दि.या.पु. द्वारा नहीं बनाया जा रहा था। यहां तक कि इस बैकअप को एक ऑफसाइट जगह पर एक अग्निरोधक कैबिनेट में भंडारित नहीं किया गया था। यह हार्डडिस्क में संग्रहित करके वहीं रखा गया था जहां सर्वर स्थित है। आगे यह पाया गया की दि.या.पु. ने कोई भी आपदा रिकवरी योजना तैयार एवं सूत्र बद्ध नहीं की।

3.5.7 अनुबंध के नियम और शर्तों का अनुपालन न करना

(i) **आंतरिक लेखापरीक्षा का गैर आयोजन:** अनुबंध के खण्ड 15.12 के अनुसार, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की लेखापरीक्षा व सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रारंभ होने से पहले आईटी विभाग द्वारा नामित लेखापरीक्षकों द्वारा कराई जाए। इसके बाद अनुबंध की अवधि के दौरान सुरक्षा लेखापरीक्षा हर वर्ष की जानी चाहिए। तथापि, प्रणाली की ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

(ii) **लेखा परीक्षा ट्रेल्स का रखरखाव न करना:** अनुबंध के अनुलग्नक I के खण्ड 5 (ई) के अनुसार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेखापरीक्षा ट्रेल हेतु उपयोगकर्ता की गतिविधियों के लांग को बनाये रखना चाहिए। व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए सभी उपयोगकर्ताओं के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल का रखरखाव आवश्यक है। दि.या.पु. ने मई 2015 में सूचित किया कि लेखापरीक्षा ट्रेल वेंडर द्वारा बनाए रखा गया। तथापि, लेखापरीक्षा ट्रेल के रखरखाव के संबंध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं दिये गये।

(iii) **बिना मरम्मत पड़ी हुई मशीनें:** अनुबंध के खण्ड 10.2 के अनुसार, उपयोगकर्ता इकाई से एक शिकायत प्राप्त होने पर वेण्डर का इंजीनियर हाथ से चलने वाले उपकरण की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए तीन घंटे के भीतर सकारात्मक रूप से उस जगह तक पहुँच जाना चाहिए। अनुबंध में इस खंड को डालने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि समस्त हाथ से चलने वाले उपकरण सदैव कार्यात्मक और उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। भंडारण रजिस्टर की संवीक्षा में पाया गया कि मई 2014 तक 1199 हाथ से चलने वाले उपकरणों में से 252 बेकार पड़े थे। कब से ये उपकरण बिना मरम्मत पड़े हुए थे उसको न

तो रजिस्टर में दर्ज किया गया और न ही उनकी नवीनतम स्थिति उपलब्ध थी। यहां तक कि तारीख, समय, समस्या का प्रकार, शिकायत क्रमांक इत्यादि का रिकार्ड न तो मैन्युअल रूप से और न ही आनलाईन रूप में रखा गया था। स्पष्ट रूप से वेंडर ने “मौके पर हाथ से चलने वाले उपकरणों की मरम्मत व प्रतिस्थापन” की शर्त जिस पर उसने सहमति दी थी, का अनुपालन नहीं किया।

(iv) **अपर्याप्त प्रशिक्षण :** अनुबंध के खण्ड 9 के अनुसार वेण्डर सर्कल सर्वर स्तर पर भी हाथ से चलने वाले उपकरण के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, और यातायात मुख्यालय स्तर पर भी सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से प्रशिक्षकों के लिए “हैण्ड्स ऑन” सत्र होना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वहाँ प्रशिक्षण हेतु कोई निर्धारित अनुसूची नहीं थी। समस्त चयनित पांच सर्कल ने सूचित किया (मई 2015) कि हाथ से चलने वाले उपकरण के प्रयोग हेतु कोई भी “हैण्ड्स ऑन” प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

मामला सरकार को दिसम्बर 2015 में भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

3.6 सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान का कार्यान्वयन

सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान का कार्यान्वयन धीमा था, क्योंकि सक्षम अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी तथा सभी अधिसूचित सेवाओं की ऑनलाईन प्रक्रिया नहीं की जा रही थी। समयबद्ध सेवा देने के लिए प्रत्येक स्तर पर समयावधि निर्धारित नहीं थी तथा सक्षम अधिकारी को विलम्बित सेवाएँ हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अधिकार प्राप्त नहीं थे। ई-एस एल ए (इलेक्ट्रोनिक्स-सर्विस लेवल एग्रीमेंट) पर डाटा अपलोड करने में अनियमितताएँ थीं जैसे कि अपूर्ण या असत्य सूचना देना, समयावधि का गलत चित्रण करना तथा सेवाएँ प्रदान करने हेतु निर्धारित समय की समाप्ति के पश्चात् आवेदन पत्र की अस्वीकृति। सेवाएँ देरी से प्रदान की गई, परन्तु न तो नागरिकों को कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया न ही चूककर्ताओं को दण्ड दिया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों को सेवाएँ समय से प्रदान करने या लागत का भुगतान करने या अधिसूचित सेवाएँ प्रदान करने में देरी के लिए मुआवजा देने हेतु दिल्ली (समयबद्ध सेवा के लिए नागरिकों का अधिकार) अधिनियम, 2011 अधिसूचित (अप्रैल 2011) किया। अधिनियम रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रत्येक विभाग को जनता से संबंधित ऑनलाईन सेवाओं वाले सभी आवेदन पत्रों की स्थिति का अनुरक्षण करने को अधिशासित करता है तथा नागरिकों को आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाईन प्राप्त करने एवं निगरानी करने का अधिकार देता है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने नियमों को अधिसूचित (सितम्बर 2011) किया तथा आवेदन पत्रों की जाँच करने, पता लगाने तथा निगरानी करने के उद्देश्य से एक समर्पित पोर्टल 'ई-एस एल ए (इलेक्ट्रोनिक-सर्विस लेवल एग्रीमेंट)' निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। नवम्बर 2015 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. ने इस अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की 361 सेवाओं को अधिसूचित किया था।

'सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान' के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा ने अधिसूचित सेवाओं को दो भागों में बँटा। भाग ए 17 विभागों के 208 सेवाओं को समाविष्ट करता है तथा भाग बी 20 विभागों के 153 सेवाओं को समाविष्ट करता है। वर्तमान प्रतिवेदन के लिए, लेखापरीक्षा ने भाग ए से नौ विभागों की 25 सेवाओं के नमूनों का चयन किया तथा 2011–15 (अनुलग्नक—3.1) की अवधि के लिए अभिलेखों की जाँच की। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गयी है।

3.6.1 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का गैर-कार्यान्वयन

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सरकार सभी विभागों, स्थानीय निकायों तथा प्राधिकरणों से जनता से संबंधित सेवाओं को ई-गवर्नेंस के हिस्से के रूप में नियत समयावधि के भीतर प्रदान करने हेतु प्रयास करेगी तथा उन्हें प्रोत्साहित करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी

विभाग अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के सम्पूर्ण रूप से समन्वय तथा निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

3.6.1.1 आवदेन पत्रों की प्रक्रिया के लिए ऑनलाईन प्रणाली का गैर-कार्यान्वयन:

17 विभागों की 208 अधिसूचित सेवाओं में से 83 सेवाओं का कोई डाटा ई-एस एल ए निगरानी प्रणाली पर उपलब्ध नहीं था। नौ विभागों की 25 चयनित सेवाओं में से, चार विभागों⁶⁸ (**अनुलग्नक 3.2**) से संबंधित नौ सेवाओं की प्रक्रिया, ई-एस एल ए प्रणाली पर नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, इग नियंत्रण विभाग से संबंधित दो मामलों की प्रक्रिया यद्यपि ई-एस एल ए प्रणाली पर की जा रही थी, तथापि दो सेवाओं⁶⁹ के नाम तथा आवेदनों की स्थिति ई-एस एल ए सिस्टम के अनुचित कार्यान्वयन के कारण जनता को सुलभ कराए गए ऑनलाईन पोर्टल पर पब्लिक इंटरफ़ेस पर उपलब्ध नहीं थी। ऑनलाईन प्रणाली के कार्यान्वयन में विभागों की असफलता ने अधिसूचित सेवाओं को अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों से अलग रखा।

3.6.1.2 ई-एस एल ए पोर्टल पर डाटा की आंशिक रूप से अपलोडिंग: दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) की तीन सेवाएँ नामतःनया जल कनेक्शन (घरेलू), जल कनेक्शन का वियोजन तथा जल कनेक्शन के बदलाव को इस अधिनियम के अन्तर्गत दिसम्बर 2011 में अधिसूचित किया गया। दि.ज.बो. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जनवरी 2012 से जुलाई 2015 की अवधि में 1.87 लाख आवेदन पत्रों की प्रक्रिया की गयी। यद्यपि, प्रणाली से प्राप्त ई-एस एल ए डाटा के अनुसार, 27 दिसम्बर 2011 से 23 जुलाई 2013 के दौरान केवल 21,581 आवेदन पत्रों की प्रक्रिया की गई। दि.ज.बो. ने तब से ई-एस एल ए पर डाटा अपलोड नहीं किया, जिसके लिए लेखापरीक्षा को कारण प्रस्तुत नहीं किये गये, यद्यपि कारण माँगे गये थे।

3.6.1.3 समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने हेतु स्तरवार घटनाक्रम का गैर-निर्धारण: अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित किये गए हैं, को सेवाएँ प्रदान करने में देरी या चूक होने पर सरकारी सेवक पर लागत अधिरोपित करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त नियम 5 के संबंध में, विभागाध्यक्ष के लिए यह न्यायसंगत होगा कि वे संबंधित सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित स्तर पर समयबद्ध सेवाप्रदान करने हेतु घटनाक्रम के साथ कार्य प्रगति की योजना बनाएँ। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ चयनित विभागों, में से केवल दो विभागों यानि शिक्षा निदेशालय तथा सूचना प्रोद्यागिकी विभाग ने आवेदनों की प्रक्रिया हेतु समयावधि को तैयार किया। तीन विभाग⁷⁰ आवेदनों की प्रक्रिया ई-एस एल ए प्रणाली पर नहीं कर रहे थे। व्यापार एवं कर विभाग (डी टी एण्ड टी), आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग तथा इग नियंत्रण विभाग ने यद्यपि ई-एस एल ए पर आवेदनों की प्रक्रिया की,

⁶⁸इग नियंत्रण, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, उच्चतर शिक्षा

⁶⁹(i) होम्योपैथिक ड्रग्स की बिक्री के लिए लाईसेन्स देना तथा

(ii) शिड्यूल एक्स ड्रग्स की बिक्री के लिए लाईसेन्स देना

⁷⁰प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, उच्चतर शिक्षा

परन्तु समयावधि जो संबंधित सरकारी सेवकों को प्रत्येक परिभाषित स्तर पर हासिल करनी थी तैयार नहीं की गई।

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने दिसम्बर 2011 से तीन सेवाओं^१ को अधिसूचित किया, परन्तु इसने एक ही सेवा ‘नया जल कनेक्शन’ के संबंध में 24 फरवरी 2014 से समय अवधि निर्धारित की। दि.ज.बो. ने अन्य दो सेवाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई। सरकारी सेवक द्वारा सेवा प्रदान करने की निर्धारित स्तर के अभाव में चूक करने एवं देर करने वाले कर्मचारी की पहचान करना तथा क्षतिपूर्ति लागत वसूल करना संभव नहीं था।

आबकारी विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि समयावधि की योजना प्रक्रियाधीन है तथा जल्द ही इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। व्यापार एवं कर विभाग ने कहा (अक्टूबर 2015) कि ऐसी समयावधि मैपिंग की आवश्यकता नहीं थी। ऊपर वर्णित नियम 5 के प्रावधानों के दृष्टिकोण से उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं।

3.6.1.4 सक्षम अधिकारी को आ.स.अ. का अधिकार प्रदान न करना: अधिनियम का खण्ड 9 (2) यह अनुबंध करता है कि सरकार नियम के अनुसार लागत का भुगतान करने के उद्देश्य के लिए सक्षम अधिकारी को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आ.स.अ.) का अधिकार प्रदान करेगी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि व्यापार एवं कर विभाग तथा आबकारी विभाग ने चूक करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति के साथ सक्षम अधिकारी की नियुक्ति क्रमशः दिसम्बर 2014 तथा मई 2014 में की। तथापि, उन्हें जनता को क्षतिपूर्ति लागत का भुगतान करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी का अधिकार नहीं दिया गया, इसके परिणामस्वरूप असंतुष्ट जनता को लागत का भुगतान नहीं हुआ तथा सरकारी कर्मचारी से उसकी वसूली नहीं हुई।

आबकारी विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि सक्षम अधिकारी के पास पड़े अग्रदाय धन से लागत या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए 29 सितम्बर 2015 को आदेश जारी किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कथित आदेश सक्षम अधिकारी को आ.स.अ. का अधिकार नहीं देता है, परन्तु ये मात्र इतना कहता है कि उनके पास पड़े हुए अग्रदाय धन से भुगतान कर दिया जाए।

3.6.1.5. आईटी विभाग द्वारा जारी निर्देशों का गैर-निष्पादन : आईटी विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार (मई 2014) कार्यालय प्रमुख (एच.ओ.डी.) को सक्षम अधिकारी की तैनाती तथा पद के सम्बन्ध में, अधिसूचित सेवायों को समयबद्ध तरीके से प्रदान किए जाने के लिए समयावधि सहित आन्तरिक कार्य की मैपिंग तथा अपील अधिकारी को आंतरिक आदेश जारी किए जाने चाहिए। आन्तरिक आदेशों में सेवाओं के संबंध में सूचना प्रदर्शित करने हेतु सूचना पट तैयार करना जिसमें सक्षम अधिकारी का नाम, ई-एस एल ए के अनुसार निपटान करने के लिए दिनों की संख्या तथा जनता के मार्गदर्शन हेतु हेल्प डेर्स्क एवं जनता को क्षतिपूरक लागत यदि सेवा देने में चूक या देरी हुई हो, का भुगतान करने हेतु सक्षम अधिकारी को अग्रदाय धन उपलब्ध कराने आदि को सम्मिलित करना था।

^१जल कनेक्शन का काटा जाना, जल कनेक्शन का नाम परिवर्तन तथा नया जल कनेक्शन

लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल दि.ज.बो. ने इन अनुदेशों का पालन किया। आई टी विभाग तथा शिक्षा निदेशालय ने अग्रदाय धन के नियोजन को छोड़कर अनुपालन की पुष्टि की। व्यापार एवं कर विभाग तथा आबकारी विभाग ने सक्षम अधिकारी की नियुक्ति क्रमशः दिसम्बर 2014 तथा मई 2014 में कर दी थी, परन्तु शेष आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की। यद्यपि, इन अनुदेशों के अनुपालन पर सूचना माँगी गई थी, परन्तु चार चयनित विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार, आई टी विभाग के निर्देशों का देरी से एवं आंशिक कार्यान्वयन के कारण सेवाओं के देरी से प्रदान करने हेतु कोई क्षतिपूरक लागत प्रभावित नागरिक को भुगतान नहीं की गयी।

आबकारी विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि अग्रदाय धन के लिए आदेश 28 सितम्बर 2015 को पारित कर दिया गया था। परन्तु अन्य बिन्दुओं पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

3.6.2 सेवाओं की अधिसूचना

अधिनियम के खण्ड 3 के अधीन, आई टी विभाग अधिनियम में दी गई सेवाओं की अनुसूची में विभिन्न सेवाओं को अधिनियम की परिधि में लाने हेतु समय—समय पर संशोधन किये थे। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

3.6.2.1 गैर-अस्तित्व सेवाओं की अधिसूचना: तकनीकि शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की सात सेवाओं को अगस्त 2014 में अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया। तथापि, जैसा कि प्रशिक्षण एवं तकनीकि शिक्षा निदेशालय ने सूचित किया, एक सेवा—“योग्यता प्रमाण—पत्र का निर्गमन” जो अस्तित्व में नहीं थी, अधिसूचित की।

3.6.2.2 अधिसूचित सेवाएँ जो विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं थीं: आई टी विभाग, कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, संबंधित विभागों से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) के द्वारा ई-एस एल ए प्रणाली में एकीकृत करने के लिए ऑकड़ों का संग्रहण करता है। आवेदनों की स्थिति की अपलोडिंग संबंधित विभागों द्वारा अपने सर्वर पर की जाती है, जो फिर ई-एस एल ए प्रणाली पर या तो मैनुअली या स्वतः अपलोड किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आई टी विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों से संबंधित चार सेवाओं⁶² को अधिसूचित (अगस्त 2014) किया, यद्यपि निदेशालय ये सेवाएँ नहीं दे रहा था। एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में निदेशालय ने स्पष्ट किया (जून 2015) कि इन कॉलेजों को बिना प्रशासनिक नियंत्रण के शत प्रतिशत वित्तीय सहायता रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी जाती है, परन्तु ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शासित होते हैं। आगे कहा (सितम्बर 2014) कि आई टी. विभाग को अधिसूचना में सेवाओं के गलत वर्णन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था।

⁶²(i) अदेय प्रमाण—पत्रों का निर्गमन (ii) अनंतिम प्रमाण—पत्रों का निर्गमन (iii) अध्ययन प्रमाण—पत्र/वास्तविक प्रमाण—पत्र का निर्गमन (iv) चरित्र प्रमाण—पत्र का निर्गमन

3.6.2.3 जनशक्ति एवं बुनियादी ढाँचा प्रदान किए बिना अधिसूचित सेवाएँ: झग नियंत्रण विभाग की छ: सेवाओं में से तीन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी तीन सेवाओं की प्रक्रिया ई-एस एल ए प्रणाली पर नहीं की गई। अपने उत्तर में विभाग ने कहा (अगस्त 2015) कि बुनियादी ढाँचा एवं जनशक्ति की कमी के कारण सेवाओं की प्रक्रिया ई-एस एल ए प्रणाली पर नहीं की जा सकी।

3.6.3 आवेदन पत्रों की अपलोडिंग तथा ऑनलाईन प्रक्रिया

दिल्ली (समयबद्ध सेवा के लिए नागरिकों का अधिकार) नियम, 2011 का नियम 3 अनुबंधित करता है कि हर तरह से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, संबंधित कर्मचारी तुरन्त आवेदन-पत्र की संवीक्षा करेगा और यदि ठीक पाया गया तो आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण सूचना को उसी दिन डाटाबेस में अपलोड करेगा तथा कम्युटरीकृत आवेदन पहचान पत्र निकालकर उसे आवेदक को देगा। ऐसे सभी आवेदन, जो विभाग द्वारा प्राप्त किए गए तथा विभाग के सर्वर पर अपलोड किए गए, को आगे 'ई-एस एल ए निगरानी एवं ट्रैकिंग प्रणाली' पर अपलोड किया जाएगा। नियम 4 के अनुसार, सेवा प्रदान करने में निर्धारित समय से अधिक देरी होने पर जिसके लिए सक्षम अधिकारी आवेदक को क्षतिपूरक लागत देना सुनिश्चित करेगा की ई-एस एल ए पद्धति द्वारा स्वतः ही गणना कर ली जाती है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

3.6.3.1 डाटा को गलत/देरी से अद्यतित करना

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि दि.ज.बो. की ई-एस एल ए प्रणाली पर 21,581 आवेदनों में से 326 मामले, जो वर्ष 2012 एवं 2013 से संबंधित हैं, निपटान हेतु प्रतिक्षित दिखाए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि 326 आवेदनों में से 40 मामलों का वास्तविक रूप में निपटान कर दिया गया था, परन्तु ई-एस एल ए पर उनकी स्थिति को अद्यतित नहीं किया गया। यह इनपुट नियंत्रण की कमी तथा अँकड़ों के अपलोडिंग में देरी को दर्शाता है। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.6.3.2 सेवाएँ प्रदान करने हेतु निर्धारित समय का गलत वर्णन:

आई.टी. विभाग द्वारा 13 अगस्त 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार, मदिरा के आयात एवं परिवहन के लिए पी-14 तथा पी-15 परमिट प्रदान करने हेतु 30 दिनों की अवधि का, निर्धारण किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आबकारी विभाग ने इन परमिटों को देने के लिए अपने सर्वर पर 30 दिनों की जगह 45 दिन दर्शाये।

आबकारी विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि विभिन्न सेवाओं हेतु समय का गलत दर्शाए जाने का मुद्दा एन आई सी को दे दिया गया था तथा इसमें शीघ्र सुधार कर दिया जाएगा।

3.6.3.3 सेवा प्रदान करने हेतु अधिसूचित समय की समाप्ति के बाद आवेदनों का निरस्तीकरण: डाटाबेस की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि व्यापार एवं कर विभाग ने 4,546 आवेदनों (दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन पंजीकरण हेतु) को सेवा प्रदान करने के निर्धारित समय समाप्त होने के बाद निरस्त

कर दिया। यह अनियमित था क्योंकि इन आवेदनों को, संवीक्षा के बाद ही ई-एस एल ए प्रणाली पर अपलोड किया जा सकता था। ई-एस एल ए प्रणाली द्वारा अपलोड तथा स्वीकृत किए गए आवेदन ऐसे मामले थे, जहाँ विभाग को निर्धारित समय के भीतर सेवा प्रदान कर देना चाहिए था। सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित समय समाप्ति के पश्चात् इन आवेदनों को बिना कारण बताए निरस्त करना, अधिनियम के अभिप्राय के विरुद्ध था।

3.6.4 अधिसूचित सेवाएँ प्रदान करना

खण्ड 7 अनुबंध करता है कि प्रत्येक सरकारी सेवक जो जनता से संबंधित सेवाएँ अनुबंधित समय के भीतर प्रदान करने में विफल होता है, को देरी की अवधि के लिए प्रतिदिन ₹ 10 की दर से अधिकतम ₹ 200 प्रति आवेदन जनता को भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, सक्षम अधिकारी सेवा प्रदान करने में देरी होने पर ई-एस एल ए प्रणाली द्वारा स्वतः गणना की गई क्षतिपूरक लागत का जनता को भुगतान करना सुनिश्चित करेगा।

3.6.4.1 सेवाएँ प्रदान करने में देरी : लेखापरीक्षा ने नौ चयनित विभागों में से छः के ई-एस एल ए डाटा का विश्लेषण किया तथा इन विभागों में प्रासंगिक अभिलेखों की नमूना जाँच भी किया। ई-एस एल ए पर प्रक्रिया की गई 12,62,137 मामलों में से पाँच विभागों (झग नियंत्रण विभाग, शिक्षा निदेशालय, दि.ज.बो., व्यापार एवं कर विभाग एवं आबकारी विभाग) में 23,714 मामलों में सेवाएँ प्रदान करने में देरी थी, जिसमें अधिकतम देरी तीन वर्षों से अधिक की थी (अनुलग्नक 3.3)। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)। अधिनियम के संदर्भ में, ₹ 32.77 लाख की राशि क्षतिपूरक लागत के रूप में जनता को भुगतान की जानी चाहिए तथा उतनी ही राशि दोषी सरकारी कर्मचारियों से वसूल की जानी चाहिए (अनुलग्नक 3.3) तथापि, विभागों ने न तो जनता को लागत के रूप में किसी राशि का भुगतान किया न ही सेवाएँ प्रदान करने में देरी के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों से उस राशि को वसूल किया गया।

मामला दिसम्बर 2015 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.7 रा.रा.क्षे.दि.स. की ई-प्रोक्योरमेंट मिशन मोड परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ई-प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन, इसके मूल उद्देश्य को विफल करते हुए, ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता के निवारण में असफल रहा। एप्लीकेशन में आवश्यक इनपुट नियंत्रणों तथा वैधता की जाँचों का अभाव था, परिणामस्वरूप डाटाबेस में अपूर्णता तथा असंगतता थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सू.प्रौ.वि.) ने सरकारी क्रय से संबंधित सभी सेवाओं की दक्षता तथा पारदर्शिता बढ़ाने, क्रय की लागत तथा समय अवधि को कम करने के लिए एक निर्विघ्न उपाय के रूप में ई-प्रोक्योरमेंट स्थापित किया। इसने मई 2011 में, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) द्वारा विकसित एक ई-प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन को

अपनाया। रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागों के ₹ 2 लाख से अधिक के मूल्य की वस्तुओं, कार्यों तथा सेवाओं की निविदाओं के लिए एन आई सी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का अनुसरण करने के लिए कहा गया (मई 2011)। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निविदाकर्ताओं को एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता थी। सू.प्रौ.वि. ने पहले प्रति वर्ष ₹ 6,000 की दर से पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जो कि फरवरी 2012 में बढ़कर ₹ 7,000 हो गया। हालाँकि पंजीकरण प्रभार का उद्ग्रहण तथा बाद में इसमें की गई वृद्धि सरकार द्वारा जनवरी 2016 तक अधिसूचित नहीं की गई थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. के ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की लेखापरीक्षा, मई 2011 से जनवरी 2015 की अवधि को लेते हुए, यह पता लगाने के लिए की गई कि क्या परियोजना उपयुक्त योजना के बाद लागू की गई, विनिर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए मैनुअल हस्तक्षेप से बचा गया था तथा डाटा पूर्ण तथा विश्वसनीय था।

लेखापरीक्षा ने कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीकों (क.स.ले.त.) का उपयोग करते हुए, सू.प्रौ.वि. द्वारा प्रदत्त डाटाबेस जिसमें 74,939 निविदाएं थीं (सभी विभागों की), की जाँच की। डाटा विश्लेषण के दौरान पाई गई आपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा ने 662 यूनिटों (मोनीटरी यूनिट सैंपल का उपयोग करते हुए) जो कि ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का उपयोग कर रही थी, में से 22 यूनिटों का चयन किया। इस उद्देश्य के लिए, चयनित यूनिटों सात विभागों/एजेंसियों⁶³ से संबंधित थी, जिसमें से 1983 निविदा फाइलों को मँगवाया गया लेकिन लेखापरीक्षा को केवल 1,847 फाइलें ही उपलब्ध करवाई गईं।

3.7.1 ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना की योजना तथा कार्यान्वयन

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र का ई-प्रोक्योरमेंट साधन, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (ई.ग.यो.) के अन्तर्गत मिशन मोड परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। रा.सू.वि.के. ने ई-प्रोक्योरमेंट बेवसाइट अप्रैल 2011 में प्रारंभ की तथा दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसायटी (दि.ई.ग.सो.) को परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। दि.ई.ग.सो. ने सू.प्रौ.वि. की तरफ से बोलीकर्ताओं से पंजीकरण प्रभार⁶⁴ के रूप में 15.57 करोड़ का संग्रहण किया जो कि अभी तक (जनवरी 2016) सरकारी खजाने में स्थानांतरित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- प्रारंभिक तीन वर्षों (2011–14) के लिए रा.सू.वि.के. के एप्लीकेशन की लागत ₹ 329.50 लाख थी तथा अगले तीन वर्षों (2014–17) के लिए बढ़कर ₹ 387.07 लाख हो गई। यद्यपि सू.प्रौ.वि.के. के ई-प्रोक्योरमेंट साधन के कार्यान्वयन के लिए रा.सू.वि.के. के साथ कोई औपचारिक समझौता ज्ञापन नहीं था।
- कुछ विभाग (जैसे दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग इत्यादि) निविदा फीस वसूल कर रहे थे जो कि प्रौ.सू.वि. के निर्णय (जुलाई 2011), ऑनलाइन पर उपलब्ध निविदा दस्तावेजों की लागत वसूल न करने, के विरुद्ध था।

⁶³दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, वन एवं जीव विभाग, और उत्पाद मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग।

⁶⁴ ₹ 15.57 करोड़ (2011–12 में ₹ 3.54 करोड़, 2012–13 में ₹ 3.74 करोड़, 2013–14 में ₹ 3.93 करोड़ एवं 2014–15 में ₹ 4.36 करोड़)

- डाटा का दायित्व सू.प्रौ.वि. पर था, तथापि इसके पास न तो डाटा बेस तक कोई पहुँच थी और न ही इसने एप्लीकेशन में किसी प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) मोड़यूल को सम्मिलित करवाया था। आपदा से उबरने की योजना भी नहीं बनाई गई थी।

3.7.2 विभिन्न स्तरों पर मैन्युअल हस्तक्षेप के कारण ई-प्रोक्योरमेंट के उद्देश्य का विफल होना

ई-प्रोक्योरमेंट की परिकल्पना निविदा चरणों जैसे निविदाओं के प्रकाशन, बोली, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन तथा अनुबंध देना को स्वचालित रूप से करने हेतु की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि खरीद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मैन्युअल हस्तक्षेप ने एप्लीकेशन के मूल उद्देश्य को विफल करते हुए पारदर्शिता को कम किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- बोलीकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए आवश्यक विभिन्न मानकों की अनुपस्थिति में, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता थी जो कि मैन्युअल मूल्यांकन के लिए तदनंतर संबंधित विभागों द्वारा डाउनलोड किए जाते थे तथा ऐसे मूल्यांकन के परिणाम प्रणाली में डाले जाते हैं।
- डाटाबेस अनुबंध किए जाने (ए ओ सी) के पश्चात भी निविदाओं को विभिन्न सत्रों जैसे 'टैकनीकल ओपन', 'फाइनैन्शियल ओपन', 'तकनीकी मूल्यांकन' वित्तीय मूल्यांकन इत्यादि पर दर्शाया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 33,155 रिकॉर्डों में अनुबंध का दिया जाना (एओसी) अपडेट नहीं किया गया था। 1,373 रिकॉर्डों में से लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए 1,227 रिकॉर्डों के प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि विभाग प्रणाली से तुलनात्मक विवरण जनरेट करने के बाद, निविदाओं को मैन्युअल रूप से दे रहे थे।

3.7.3 इनपुट नियंत्रण एवं वैधता की जाँच का अभाव

इनपुट नियंत्रण तथा वैधता की जाँच सुनिश्चित करते हैं कि डाटा की प्रविष्टि प्रथमतया सही तथा पूर्ण की गई है। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि एप्लीकेशन में इनका अभाव था जैसा कि नीचे दिया गया है:

- 5,132 रिकॉर्डों में से 607 रिकॉर्डों में 'संविदा मूल्य' विक्रताओं द्वारा उद्घृत मूल्य से अधिक था। 15 रिकॉर्डों में से लेखापरीक्षा को प्राप्त 10 रिकॉर्डों का प्रत्यक्ष सत्यापन दर्शाता था कि असंगतता का कारण ओनलाइन सिस्टम में डाटा प्रविष्टि की त्रुटि थी।
- एप्लीकेशन में, गुम/खराब हुए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र⁶⁵ (डि.ह.प्र.) की वैधता के दौरान नये डि.ह.प्र. की मौंपिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार विक्रेता को इस स्थिति में या तो पिछले डि.ह.प्र. की समाप्ति तिथि तक इन्तजार करना होता था, या पंजीकरण फीस दुबारा भरते हुए नया पंजीकरण करवाना होता था। इसके

⁶⁵विक्रेताओं को लोगिन करने तथा एप्लीकेशन के उपयोग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डि.ह.प्र.) की आवश्यकता होती है।

अतिरिक्त डाटा विश्लेषण में पाया गया कि बोली के 4,95,303 रिकॉर्डों में से 62,821 रिकॉर्डों में डिजिटल प्रमाणपत्र सूचना उपलब्ध नहीं थी।

- कार्य मदों के 91,779 रिकॉर्डों में से 23,141 रिकॉर्डों में अनुमानित लागत शून्य दिखाई गई थी।
- 19,229 रिकॉर्डों में, (235 रिकॉर्ड जिनमें 'निविदा जमा करने की खोलने की तिथि' तथा 'निविदा जमा करने की आखरी तिथि' एक ही थी) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) मैन्युअल के प्रावधानों⁶⁶ के उल्लंघन में बोलीकर्ताओं को दिया गया समय अपर्याप्त था।
- 76,941 रिकॉर्डों में से 61 में, सत्यापन की तिथि नहीं थी, जो इन मामलों में निविदा दस्तावेजों के सत्यापन न होने की संभावना को झंगित करता है। 91,635 में से 815 रिकॉर्डों में, वित्तीय बोली के खोलने की तिथि रिक्त पड़ी थी।
- 2,232 में से 7 रिकॉर्डों में, जन्म तिथि रिक्त पड़ी थी। 44 रिकॉर्डों में ठेकेदार की आयु 18 वर्ष से कम थी तथा 180 प्रयोक्ता एक से अधिक बार पंजीकृत थे, जिसके परिणामस्वरूप 403 रिकॉर्ड दोहराए गए। यह भी देखा गया कि प्रयोक्ता, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अधूरे भरे हुए पृष्ठ छोड़ रहे थे जो कि अनावश्यक डाटा संचय का कारण बना।
- निविदाओं के 4,95,303 रिकॉर्डों में से 1,24,669 रिकॉर्डों में, बोलियाँ वित्तीय रूप से स्वीकृत थीं जबकि वित्तीय डाटा उपलब्ध नहीं थे। 163 रिकॉर्डों में, बोली प्रस्तुति की तिथि, तिथियों की अनुमत सीमा से बाहर थी। 12,599 रिकॉर्डों में, यह भी पाया गया कि उन ठेकेदारों की वित्तीय बोलियों को खोल दिया गया था जिनकी बोलियों को रद्द कर दिया गया था।

मामले को सरकार के पास फरवरी 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

⁶⁶के.लो.नि.वि. नियमावली के अनुसार निविदा की प्रकाशन तिथि तथा निविदा प्राप्ति तिथि के मध्य समय सीमा 7 दिन ए 10 दिन तथा 14 दिन क्रमानुसार ₹ 20 लाख ए ₹ 2 करोड़ एवं ₹ 2 करोड़ से अधिक मूल्यों के कार्यों के लिए निर्धारित है।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग

3.8 ₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय

दो निर्माण कार्य देने से पहले अवरोध मुक्त स्थल के सुनिश्चित करने में विफलता के कारण ₹ 1.47 करोड़ व्यय के बावजूद इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युअल (खण्ड-II) का पैरा 4.2 बताता है कि स्थलों की उपलब्धता इसके कार्य की योजना तथा डिजाइनिंग स्टेज पर ही सुनिश्चित हो जानी चाहिए। इसके अलावा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युअल (खण्ड-II) का पैरा 3.3(2) बताता है कि तकनीकी औचित्य, स्थलीय क्षेत्रीय विवरण और आवश्यक स्थल आदि का पूर्ण रूप से पता लगा लेने के पश्चात अनुमानों को क्लाइंट डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए। तथापि सिंचाई एवं, बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई.एफ.सी.डी) के सिविल डिविजन- 1 के अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि अवरोध मुक्त स्थलों के नहीं होने के कारण दो कार्यों को समयपूर्व बन्द करना पड़ा। प्रकरणों को नीचे वर्णित किया गया है:

(i) कार्यकारी अभियंता (का.अ.), सिविल डिविजन-I, आई.एफ.सी.डी. ने (जनवरी 2013) 'हस्तसाल तथा राजापुर खुर्द गाँव से आने वाले नाले को जोड़ने के लिए आर.डी.-32,300 एम से 37,147 एम तक नजफगढ़ नाले की भू-सीमा के साथ-साथ बरसाती पानी के निकासी नाले के निर्माण' कार्य का एक ठेका ₹ 4.02 करोड़ की निविदा लागत पर, 28 अक्टूबर 2013 तक पूरा करने के लिए दिया। कार्य का उद्देश्य अपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम के कारण नवादा, राजापुर व हस्तसाल गाँवों में बाढ़ की समस्या को कम करना था।

ठेकेदार ने (नवम्बर 2013) में सूचित किया कि स्थल के उपलब्ध भाग पर कार्य पूरा हो चुका है तथा आगे के कार्य को स्थल पर अवरोध के कारण रोकना पड़ा है। आस-पास के घरों के निवासियों ने आगे कार्य को नहीं होने दिया क्योंकि इससे उनके घरों की नीवों को नुकसान पहुँच सकता था। कार्य को अंततः दिसम्बर 2013 के पूर्व प्रभाव से समय पूर्व बंद कर दिया गया (अगस्त 2014)। कार्य के समय से पूर्व बन्द होने के समय, ₹ 0.89 करोड़ मूल्य का मात्र 20 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था। आंशिक रूप से हुआ कार्य अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में असफल हुआ तथा यह केवल आस-पास की कॉलोनियों के गंदे पानी के निकास का प्रबंधन अस्थायी रूप से कर रहा था। इस तरह ₹ 0.89 करोड़ व्यय करने के बावजूद गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण नजफगढ़ नाले के साथ-साथ इसकी पूर्ण लम्बाई पर नहीं हो सका और स्थल के अवरोधन युक्त होने के कारण कार्य मध्य में ही छोड़ना पड़ा, जिससे नवादा, राजापुर एवं हस्तसाल गाँवों में गंदे पानी के निकासी नालों की संकुलता की समस्या में कमी करने के इच्छित उद्देश्य को नहीं किया जा सका।

विभाग ने (अगस्त 2015/मार्च 2016) कहा कि स्थानीय निवासियों की चिन्ता को दूर करने के लिये हर संभव प्रयास किया गया, साथ ही यह जोड़ा कि किया गया काम निष्फल नहीं है, चूंकि यह आस-पास के आवासीय क्षेत्रों के गंदे पानी की निकासी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि अपूर्ण कार्य के कारण व्यय का मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ।

(ii) कार्यकारी अभियंता (सिविल डिवीजन-I, आई.एफ.सी.डी.) ने (फरवरी 2012) 'नजफगढ़ ब्लॉक के घुमनहेड़ा गाँव में ग्राम सभा की जमीन पर एक पार्क के विकास' कार्य का एक ठेका ₹ 0.91 करोड़ लागत पर 26 अगस्त 2012 तक पूरा करने के लिए दिया। ठेकेदार ने माप के विवरण में विस्तृत मदों के अनुसार कार्य को शुरू किया। कार्य को करते समय गाँव के निवासियों ने राजस्व विभाग द्वारा स्थल के सीमांकन पर अपना विरोध प्रकट किया तथा पुनः सीमांकन की प्रार्थना की। पार्क के पश्चिमी भाग पर बन रही चारदिवारी के कार्य को, घुमनहेड़ा-शिकारपुर सड़क तक 20 फीट को रास्ते की मांग करते हुए, ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया। विवाद को बन्द करने के लिए संबंधित खसरे के पुनर्सीमांकन के लिए बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद, राजस्व विभाग से इस संबंध में जुलाई 2012 तक कोई निर्णय प्राप्त नहीं किया गया। विभाग ने अंततः जुलाई 2012 के पूर्व प्रभाव से कार्य को समय पूर्व बंद कर दिया। हालांकि तब तक ठेकेदार ने 63 प्रतिशत कार्य को पूरा कर दिया था और उसे ₹ 0.58 करोड़ का भुगतान कर दिया गया (जून 2012)। इस प्रकार कार्य को सौंपे जाने से पूर्व अवरोध मुक्त स्थल को सुनिश्चित किए जाने में डिविजन की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 0.58 करोड़ का निष्कल व्यय हुआ।

विभाग ने (अगस्त 2015/मार्च 2016) कहा कि राजस्व विभाग के द्वारा स्थल के अनुपयुक्त सीमांकन के कारण, कार्य को समय से पूर्व बंद करना पड़ा। यह प्रत्युत्तर अस्वीकार्य है चूँकि विभाग को कार्य का ठेका सीमांकन मुद्दे को सुलझाने के बाद ही देना चाहिये था।

इस तरह विभाग दोनों कार्यों को देने से पहले अवरोध मुक्त कार्य स्थल सुनिश्चित करने के सी.पी.डब्ल्यू.डी. में निहित कोडल प्रावधानों के अनुपालन में असफल रहा, परिणामस्वरूप, ₹ 1.47 करोड़ का निष्कल व्यय हुआ।

मामला अक्टूबर 2015 में सरकार को भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

श्रम विभाग

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

3.9 निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संग्रहित ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि की निष्प्रयोज्यता

निर्माण श्रमिकों को विनियमित एवं पंजीकृत करने में 'दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के प्रयास अपर्याप्त थे। बोर्ड की ओर से शिथिलता के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि निष्प्रयोज्य पड़ी रही बल्कि निर्माण श्रमिकों को भी अभीष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं सेवा की अन्य शर्तों के विनियमन के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

18 मई 1995 को आयोजित 41वें श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन व सेवा की शर्तें), अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत गठित बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से नियोक्ताओं द्वारा व्यय किए गए निर्माण की लागत पर उपकर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

दिल्ली में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए 2 सितम्बर 2002 को गठित किया गया था। बोर्ड के गठन के पश्चात् विभिन्न सरकारी प्राधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं अन्य निजी एजेंसियाँ अपनी परियोजनाओं की निर्माण लागत के आधार पर बोर्ड के पास उपकर जमा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड निर्माण श्रमिकों से पंजीकरण एवं नवीनीकरण फीस तथा जमाओं पर ब्याज प्राप्त करता है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि आरंभ से अगस्त 2015 तक बोर्ड, कुल मिलाकर ₹ 1,860.88 करोड़ की राशि प्राप्त कर चुका था। इस अवधि के दौरान बोर्ड केवल ₹ 64.94 करोड़ (कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 55.25 करोड़ तथा प्रशासनिक व्यय पर ₹ 9.69 करोड़) उपयोग में ला सका। इसके अतिरिक्त, ₹ 104.91 करोड़ की कटौती बोर्ड की ब्याज की आय से 'स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस)' के रूप में की गई। इस प्रकार, उपलब्ध ₹ 1,746.28 करोड़ (₹ 1,860.88 करोड़ – ₹ 9.69 करोड़ – ₹ 104.91 करोड़) में से केवल ₹ 55.25 करोड़ की राशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी स्कीमों पर किया गया था जो कि उपलब्ध निधियों का मात्र 3.16 प्रतिशत होता है। दूसरी ओर, कल्याणकारी स्कीमों पर व्यय की धीमी गति के बावजूद बोर्ड का प्रशासनिक व्यय ₹ 9.69 करोड़ था जो कि बोर्ड के ₹ 169.85 करोड़ के कुल व्यय के 5 प्रतिशत (₹ 8.49 करोड़) की अनुज्ञेय सीमा के परे था।

निधियों के कम उपयोग के प्रमुख कारण थे—बोर्ड, दिल्ली में अनुमानित 10 लाख निर्माण श्रमिकों के प्रति केवल 2,86,449 निर्माण श्रमिकों (29 प्रतिशत) का ही पंजीकरण जून 2015 तक कर सका तथा निर्माण श्रमिकों से कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का उपयोग करने के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति हुई थी। यद्यपि बोर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए 18 कल्याण कारी योजनाओं को चला रहा है किंतु वे केवल सात स्कीमों का लाभ उठा रहे हैं। तथापि, बोर्ड ने सभी निर्माण श्रमिकों को चिह्नित एवं पंजीकृत करने के लिए अथवा श्रमिकों के मध्य स्कीम की जानकारी फैलाने हेतु पर्याप्त कार्यवाही शुरू नहीं की।

निर्माण श्रमिकों के कम पंजीकरण एवं दिल्ली में समस्त निर्माण श्रमिकों का पता लगाने के लिए बोर्ड के पास तंत्र की अनुपस्थिति के मुद्दे को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.4.5 में दर्शाया गया था। तथापि, बोर्ड अपने द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी

योजनाओं के अन्तर्गत समस्त निर्माण श्रमिकों को लाने हेतु प्रभावी कार्रवाई आरंभ करने में असफल रहा। बोर्ड की ओर से शिथिलता के कारण न केवल ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि व्यर्थ पड़ी रही बल्कि निर्माण श्रमिकों को भी अभीष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

बोर्ड ने कहा (अगस्त 2015) कि श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अगस्त 2015 तक 488 पंजीकरण कैम्पों का आयोजन किया था। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने विभिन्न प्रचार कदमों को उठाया जैसे एफ.एम. रेडियो चैनलों पर विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों का प्रसारण, विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन, विभिन्न निर्माण स्थलों पर हिन्दी में पर्चियों एवं शासकीय सूचना का वितरण, जिन पर ₹ 2.69 करोड़ व्यय किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में लाए जाने से यह स्पष्ट है कि निर्माण श्रमिकों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने में बोर्ड के प्रयास अपर्याप्त थे।

लोक निर्माण विभाग

3.10 अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन से ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय

लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनुबंध की शर्तों के विपरीत रखरखाव के काम में निविदा की राशि से 1.25 गुना से अधिक ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

वर्ष 2013–15 के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये कार्य के ठेका अनुबंध में शामिल सामान्य शर्तों के अनुसार उन्नयन, सौंदर्यकरण, विशेष मरम्मत, परिवर्धन, परिवर्तन, पैदल पथ एंव सेन्ट्रल वर्ज का उन्नयन/सुधार, खण्ड मरम्मत द्वारा ढुलाई मार्ग का सुधार या सड़क तल की वार्षिक/आवधिक मरम्मत और सड़क से सम्बंधित वार्षिक मरम्मत एंव रखरखाव समेत रखरखाव कार्य से सम्बंधित किसी अनुबंध पूरा करने की लागत निविदा की राशि के 1.25 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। निविदा आमंत्रण सूचना अनुमोदन प्राधिकारी को अनुबंध की सूची 'एफ' के खंड 12 में कार्य के प्रकार को भरना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने लो.नि.वि. के दो सिविल सड़क रखरखाव डिवीजन (सिविल सड़क रखरखाव डिवीजन एम-213 और एम-311) द्वारा किये गये सड़क सुधार एंव वार्षिक मरम्मत और रखरखाव से सम्बंधित पांच कार्यों की नमूना जाँच की। निविदा आमंत्रण सूचना अनुमोदन प्राधिकारी ने इन सभी कार्यों को निविदा अनुबंध की सूची 'एफ' में मरम्मत कार्य के रूप में उल्लेखित किया जिसके लिए कार्य की लागत निविदा की राशि के 1.25 गुणा से अधिक नहीं होनी थी। विवरण नीचे तालिका 3.10.1 में दिया गया है:

तालिका 3.10.1: रखरखाव कार्य का विवरण जहाँ कार्य पूरा होने की लागत निविदा की राशि के 1.25 गुना से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध सं.	कार्य का नाम	निविदा की राशि	निविदा की राशि का 1.25 गुना	वास्तविक भुगतान राशि	अनियमित व्यय	सूची 'एफ' में दर्शाए कार्य के प्रकार
सिविल सड़क रखरखाव डिवीजन एम 213							
1	31 / 13-14	पू.दि.न.नि. से ली गयी यमुना विहार विभाजक सड़क एवं दि.प.नि. डिपो रोड की सड़क एवं जल निकासी प्रणाली का सुधार	4.03	5.04	5.87	0.83	उन्नयन कार्य
2	1 / 14-15	शास्त्री पार्क से खजूरी चौक तक एमबी रोड पर तटबंध का सुधार जो बाढ़ व बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया था।	0.74	0.93	1.18	0.25	उन्नयन कार्य
3	24 / 14-15	जी.टी.बी. अस्पताल के गेट नं. 4 से 9 के सामने सड़क संख्या 64 से 68 के लिक रोड के पैदल पथ के सुधार का कार्य	0.63	0.79	0.80	0.01	रखरखाव व उन्नयन कार्य
सिविल सड़क रखरखाव डिवीजन एम.311							
4	6 / 13-14	स्वामी नारायण मार्ग का गुलाब सिंह मार्ग से अशोक विहार चौराहे तक सुधार, उप शीर्ष: मुख्य ढुलाई रास्ता, जलनिकासी प्रणाली, पैदल पथ और सेन्ट्रल वर्ज का सुधार।	7.43	9.28	9.45	0.17	रखरखाव कार्य
5	39 / 13-14	तेवतिया मार्ग का सुधार उप शीर्ष: ढुलाई मार्ग को मजबूत करना एवं जलनिकासी और पैदल पथ का सुधार	2.97	3.72	4.10	0.38	रखरखाव कार्य
					योग	1.64	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्य पूरा करने की लागत निविदा की राशि के 1.25 गुना से अधिक से बढ़ गयी जो कि ठेके की शर्तों के प्रावधानों के विपरीत थी, इसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि दो कार्य (एम-311) वास्तव में परियोजना के कार्य थे और उन्हे रखरखाव कार्य नहीं माना जा सका। जबकि मुख्य अभियंता (एम-213) ने कहा (अगस्त 2015) कि डिवीजन की टंकण त्रुटि के कारण सभी तीन कार्यों का उल्लेख अनुबंध की सूची 'एफ' में उन्नयन/रखरखाव कार्य के रूप में किया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा आमंत्रण सूचना में अनुमोदन प्राधिकारी ने इन सभी कार्यों को करार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सूची 'एफ' में रखरखाव कार्य के रूप में दिखाया है।

मामला सरकार को अगस्त 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)

3.11 ₹ 95.15 लाख का निष्कल व्यय

कार्य को प्रदान करने व एस्केलेटर्स (स्वचालित सीढ़ियाँ) स्थापित करने से पूर्व उचित व्यवहार्यता अध्ययन करने में लोक निर्माण विभाग की असफलता के फलस्वरूप ₹ 95.15 लाख का निष्कल व्यय हुआ।

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) ने 'शालीमार बाग', केंद्रीय विद्यालय के पास रिंग रोड पर सीढ़ियों के साथ ऊपर गामी पैदल पार पुल, रैप व स्वचालित सीढ़ियों के निर्माण' हेतु ₹ 5.19 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय संस्वीकृति (एए व ईएस) प्रदान की (अक्टूबर 2008)। इस संस्वीकृति के अंतर्गत विद्युत कार्य-जैसे कि स्वचालित सीढ़ियों हेतु ₹ 2.92 करोड़ के अनुमानित व्यय की सितम्बर 2009 में अधीक्षण अभियंता (ई एम् सर्कल एम्-35) द्वारा तकनीकी संस्वीकृति दी गयी और कार्य को कार्यकारी अभियंता (ईएम डिवीज़न एम्-354) द्वारा निविदा की राशि ₹1.67 करोड़ पर कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तिथि 9 मार्च 2011 के साथ एक फर्म को प्रदान किया गया था (जून 2010)।

ठेके के नियम व शर्तों के अनुसार माल प्राप्ति के बाद 80 प्रतिशत और प्रणाली की स्थापना और सफल परीक्षण तथा प्रणाली के चालू होने के बाद प्रत्येक 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। ठेकेदार द्वारा घटकों के साथ दो स्वचालित सीढ़ियों (प्रत्येक सेट की लागत ₹ 59.47 लाख) की आपूर्ति के बाद जनवरी 2012 में ₹ 95.15 लाख (₹118.94 लाख का 80 प्रतिशत) का भुगतान किया गया। सम्बंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि तब के मुख्य अभियंता के निर्देशों पर इन स्वचालित सीढ़ियों की स्थापना इस आधार पर रोकी गयी कि इन स्वचालित सीढ़ियों की चोरी, नुकसान, तोड़-फोड़ आदि का डर था, क्योंकि जिस स्थान पर स्वचालित सीढ़ियों की स्थापना प्रस्तावित थी वह असामाजिक तत्वों से धिरा हुआ था। परिणामस्वरूप सभी घटकों (29 बक्सों) के साथ स्वचालित सीढ़ियाँ मुकरबा चौक पर लो.नि.वि. के सब-डिवीज़न कार्यालय में बेकार पड़ी हुई थीं।

इस प्रकार स्वचालित सीढ़ियों की खरीद व स्थापित करने के कार्य को सौंपने से पूर्व उचित व्यवहार्यता अध्ययन और सामाजिक स्थिति की निर्धारण करने में लो.नि.वि. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 95.15 लाख का निष्कल व्यय हुआ, जबकि स्वचालित सीढ़ियाँ उनकी प्राप्ति के चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी स्थापित नहीं हुईं एवं बेकार पड़ी रहीं जिससे प्रतिदिन इनकी शेल्फ लाईफ कम हो रही थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता द्वारा इन बेकार पड़ी स्वचालित सीढ़ियों के उपयोग की किसी भी संभावना को तलाश करने के लिए, लो.नि.वि.के अन्य जोनों को परिपत्र जारी किये गए (क्रमशः फरवरी और मई 2015)। कार्यकारी अभियंता (ईएम डिवीज़न एम्-353 एन) ने कहा कि (अगस्त 2015) स्वरूप नगर में ऊपर गामी पैदल पार पुल पर इन स्वचालित सीढ़ियों के उपयोग का पता लगाया जा रहा था, आगे यह भी कहा कि यदि उस स्थान पर इनका उपयोग संभव नहीं हो पाता है तो अन्य विकल्पों का पता लगाया जाएगा। मुख्य अभियंता ने आगे कहा (सितम्बर 2015) कि स्वचालित सीढ़ियों को स्थापित करने की संभावना तलाशी जा रही है एवं इसे जल्दी ही किसी एक चालू या आगामी परियोजना में इस्तेमाल किया जाएगा।

मामला सरकार को अगस्त 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.12 कार्य के समय से पहले बंद हो जाने की वजह से अपव्यय

कार्य को सौंपे जाने से पहले अवरोध मुक्त जगह की उपलब्धता के संबंध में कोडल प्रावधानों का पालन करने में विभाग की विफलता के कारण कार्य समय से पूर्व बंद हो गया तथा ₹ 72.32 लाख का अपव्यय हुआ।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल के पैरा 15.1(2) के अनुसार, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अनुमोदन से पहले, बाधा मुक्त जगह की उपलब्धता, निधि एवं स्थानीय निकायों से भवन योजनाओं की स्वीकृति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बाधा मुक्त कार्यस्थल से तात्पर्य भूमि उपयोग मानदण्ड के सन्दर्भ में अभीष्ट उद्देश्य के लिए भूमि की उपलब्धता से है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि लो.नि.वि. के डिवीजन एम-422 ने ₹ 4.01 करोड़ की अनुमानित लागत से “सरकारी (सह-शिक्षा) सीनियर सेकेन्डरी स्कूल भाटी माइन्स, संजय कॉलोनी, नई दिल्ली में पीने के पानी का स्थान, शौचालयों एवं सीढ़ियों के साथ 40 अर्द्ध-पक्के ढाँचों का निर्माण कार्य” कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (सितम्बर 2013)। कार्य को सितम्बर 2014 तक पूरा करने के लिए ₹ 3 करोड़ के निविदा राशि पर दिया गया (जनवरी 2014)। हालाँकि कार्य की प्रगति के दौरान, उप वन संरक्षक (दक्षिणी दिल्ली) ने उप पुलिस आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली) को सूचित किया (फरवरी 2014) कि सरकारी (सह-शिक्षा) सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, भाटी माइन्स में जारी निर्माण कार्य अवैध है क्योंकि खसरा सं. 1910 जिस पर स्कूल स्थित था, वह वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत अधिसूचित⁶⁷ जगह का हिस्सा था। मामलों के नहीं सुलझने की वजह से 20 मार्च 2014 से कार्य रोक दिया गया और अंततः सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 20 दिसम्बर 2014 को कार्यकारी अभियंता एम-422 ने कार्य को समय से पहले बन्द कर दिया। कार्य को समय से पूर्व बंद करने से पहले ठेकेदार को किए गए कार्य के लिए ₹ 72.32⁶⁸ लाख का भुगतान कर दिया गया था।

कार्यकारी अभियंता एम-422 ने सूचित किया कि दिल्ली प्रशासन को ग्राम पंचायत भाटी गाँव, संजय कॉलोनी द्वारा जून 1986 में दान दी गई जमीन के ऊपर वर्ष 1982-83 में सरकारी (सह-शिक्षा) सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, भाटी माइन्स, नई दिल्ली, को स्थापित किया गया था। हालाँकि दिल्ली प्रशासन ने स्कूल के स्थापित होने के नौ साल बाद जनवरी 1991 में भूमि को “वन्यजीव अभ्यारण्य” के रूप में अधिसूचित किया था।

इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग निविदा आमंत्रण सूचना अनुमोदित करने एवं जारी करने से पूर्व, कार्य हेतु बाधा मुक्त स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में असफल रहा। विभाग ने ऐसी भूमि जो कि वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा थी, पर किये जाने वाले कार्य हेतु ठेका दे दिया विफलता के परिणामस्वरूप कार्य समय से पूर्व बंद हो गया तथा ₹ 72.32 लाख का अपव्यय हुआ।

मामला सरकार को सितम्बर 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)

⁶⁷वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत अधिसूचना सं. एफ.2(19)/डीसीएफ/90-91/1382-91, दिनांक 15 जनवरी 1991 के द्वारा

⁶⁸15 अप्रैल 2014 को ₹ 49.20 लाख का प्रथम आर ए बिल तथा 29.01.15 को ₹ 23.12 लाख का द्वितीय एवं अंतिम आर ए बिल

3.13 ₹ 8.54 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान

लोक निर्माण विभाग ने पाँच प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक के परिवर्तन की अनुमति के बाद सड़क निर्माण कार्य में दोबारा परत बिछाने में 10,131.37 घन मी. की अस्वीकार्य अधिक मात्रा हेतु ₹ 8.54 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के सिविल सड़क रखरखाव डिवीज़न एम-213 के द्वारा ₹ 17.68 करोड़ की निविदा राशि पर “रखरखाव के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों के मौजूदा बिटूमिनस परत के हॉट-इन-सीटू रिसाइकिंग के द्वारा दोबारा परत बिछाने” का कार्य दिया गया (फरवरी 2009)। कार्य जनवरी 2012 में पूर्ण हो गया और ₹ 20.07 करोड़ का अंतिम भुगतान नवम्बर 2014 में किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि अनुबंध के “हॉट-इन-सीटू रिसाइकिंग के द्वारा वर्तमान बिटूमिनस सतह पर परत बिछाने” की अतिरिक्त शर्तों के खण्ड 7 के अनुसार मिलाये जाने वाले नये मिश्रण की अनुशासित मात्रा के ऊपर 5 प्रतिशत के परिवर्तन की स्वीकृति थी। मात्रा की सूची के अनुसार, 50 मिमी घनत्व वाले बिटूमिनस कंक्रीट (डी बी सी) हेतु 35:65 (35 अतिरिक्त मिश्रण: 65 माइल्ड मिश्रण) के अनुपात में कुल मिश्रण के 35 प्रतिशत दर पर अतिरिक्त घनत्व बिटूमिनस कंक्रीट को जोड़कर “हॉट-इन प्लेस रिसाइकिंग तकनीक के द्वारा दुबारा परत बिटूमिनस फूटपाथ का दोबारा सतह बिछाने का कार्य” निष्पादित किया जाना था जिसके लिए ठेकेदार ने ₹ 362.84 प्रति वर्ग मीटर की दर बतायी। इसके अतिरिक्त, डीबीसी में निर्धारित 35 प्रतिशत के ऊपर अतिरिक्त मिश्रण में बदलाव के लिये लागत में समायोजन को नए मिश्रण सामग्री के अतिरिक्त मिश्रण की मात्रा में बदलाव के लिए नियमित किया जाना था।

3 सितम्बर 2008 को हुए बोली पूर्व सम्मेलन के अनुसार विभाग के द्वारा विचलन में 5–7 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक बदलाव में वृद्धि के मामले को स्वीकार नहीं किया गया। तथापि, अंतिम बिल में, डी बी सी 2,71,351.62 वर्ग मीटर की मात्रा निष्पादित की गई जिसके लिए ₹ 10.33 करोड़ राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, नए मिश्रण सामग्री के अतिरिक्त मिश्रण की 10,630.37 घन मी. को डी बी सी के लिए निष्पादित किया गया, जिसके लिए ₹ 8.96 करोड़ की अतिरिक्त लागत का भुगतान किया गया। अस्वीकार्य भुगतान का विस्तृत विवरण तालिका 3.13.1 में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.13.1: सड़क कार्य के दोबारा परत बिछाने के लिए किया गया अस्वीकार्य भुगतान

निष्पादितमात्रा (वर्ग मी. में)	स्वीकार्य सीमा के अनुसार मात्रा जो क्रियान्वित की जानी थी (5 प्रतिशत) (घन मी. में)	वास्तविक रूप से क्रियान्वयन मात्रा (घन मी. में)	दर	अतिरिक्त मिश्रण के लिए भुगतान की गई राशि	अस्वीकार्य भुगतान (₹) में
1	2	3	4	5(3×4)	6 (3–2) × 4
2,71,351.62	499 (कॉलम 1×0.05 ×0.35 = 4,749+5% विचलन = 4,986. अनुमानित लागत में 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया था तथा मदों को 499 क्यू मी. तक सीमित किया गया।)	10,630.37	8,844.37 – 4.70 प्रतिशत = 8,428.68	₹ 8.96 करोड़	10,630.37 (–) 499 = 10,131.37 × 8,428.68 (उद्धृत दर) = ₹ 8.54 करोड़

इस प्रकार पांच प्रतिशत की स्वीकृति सीमा के प्रति 10,131.37 घन मी. (2,030 प्रतिशत) की अधिक मात्रा क्रियान्वित की गयी तथा भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ठेके की शर्तों के विपरीत ₹ 8.54 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

विभाग ने कहा (अगस्त 2015) कि यह पांच प्रतिशत का परिवर्तन आवश्यक ताजा मिश्रण की कुल अतिरिक्त मात्रा से संबंधित नहीं है बल्कि यह मिलाए गए ताजा मिश्रण की सहन क्षमता को इंगित करता है ना कि ऊपरी मोटाई/रूपरेखा सुधार के लिए आवश्यक मात्रा को शामिल करते हुए कुल मात्रा को। विभाग ने आगे कहा कि अनुबंध में अतिरिक्त मिश्रण के परिवर्तन के लिए लागत समायोजन रूपरेखा सुधार एवं ऊपरी मोटाई हेतु प्रयुक्त मात्रा के अन्तर हेतु आवश्यक अतिरिक्त मिश्रण की पूर्ति करने हेतु है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि ठेके की शर्तों के अनुसार वास्तव में क्रियान्वित की गयी सामग्री की मात्राओं के भुगतान को पांच प्रतिशत तक सीमित करना था।

मामला सरकार को सितम्बर 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.14 ₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान पर उच्च विनिर्देश वाले पेवर ब्लॉकों को लगाने का अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण लोक निर्माण विभाग को ₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के सिविल सड़क रखरखाव डिविजन एम-342 ने 'धेवरा मोड़ से जी.टी. रोड (सिंघु बार्डर) तक एम.डी.आर.-138 की मजबूतीकरण व चौड़ीकरण -का कार्य जिसमें आर.सी.सी. बॉक्स नाली, पैदलपथ और सेंट्रल वर्ज का निर्माण कार्य व रेट्रो रिफ्लेक्टिव रोड साईनेज आदि का कार्य' भी सम्मिलित था, को ₹ 91.22 करोड़ की निविदा लागत पर दिया (जनवरी 2013)। कार्य जुलाई 2014 में पूर्ण हो गया था और ₹ 106.16 करोड़ का अंतिम भुगतान मार्च 2015 तक ठेकेदार को कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि काम के विस्तृत अनुमान में एक मद 'एम-30 ग्रेड (67,600 वर्ग मीटर) वाली 60 मि.मी. मोटी सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग पेवर ब्लाक/टैक्टाइल पेवर' शामिल थी जिसका उपयोग पैदल पथ के निर्माण में किया गया था। यह मद 'बिल ऑफ क्वार्टी' का हिस्सा थी, जिसके लिए सफल ठेकेदार ने प्रति वर्ग मीटर ₹ 461.57 प्रति वर्ग मीटर उद्धृत किए थे। हांलाकि, अंतिम बिल के अनुसार निर्मित किये गये 67,600 वर्ग मीटर पैदलपथ में से मात्र 818.51 वर्ग मीटर में इस विनिर्देश वाले पेवर ब्लॉकों का उपयोग किया गया था। पैदल पथ का शेष काम 'सड़क को चौड़ा' करने के कार्य के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापन के कारण इस प्रकार से दर्ज किए गए थे कि, 'पैदल पथ पर 60 मि.मी. मोटे टेक्चर फिनिश पेवर ब्लॉक के लिए अनुबंध प्रदान किया गया, लेकिन कार्यस्थल पर पैदल पथ बनाना संभव नहीं था और यह निर्णय लिया गया कि रिहाइशी क्षेत्र में पटरी पर सड़क को चौड़ा करने के लिए 80 मि.मी. मोटा पैवर ब्लॉक उपलब्ध कराए जाए ताकि वाहनों को वहाँ पार्क किया जा सके'। तदनुसार, जहाँ

प्रारम्भ में फुटपाथ प्रस्तावित थे उस स्थान पर 80 मि.मी. मोटे पैवर ब्लॉक बिछा कर सड़क को चौड़ा करने का कार्य किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि भारतीय मानक—15658:2006 60 मि.मी. मोटे पैवर ब्लॉक (एम—35 ग्रेड) पैदल पथ कार पार्क, कार्यालय मार्ग और ग्रामीण मार्गों जिनपर कम मात्रा में यातायात है (प्रतिदिन 150 व्यवसायिक वाहनों तक) को विनिर्दिष्ट करता है, जबकि 80 मि.मी. मोटे (एम—40 ग्रेड) पैवर ब्लॉक विशेष रूप से शहर की गलियों में मध्यम गति यातायात (150—450 व्यवसायिक वाहन प्रतिदिन), छोटी और मध्यम बाजार की सड़कें, कम आवागमन वाली सड़क, मुख्य मार्ग पर यूटिलिटी कट सड़क आदि के लिए विनिर्दिष्ट किये गए हैं। इस प्रकार, लो.नि.वि. ने उस मद को चुना जो उच्च विनिर्देशित (80 मि.मी. मोटी पैवर ब्लॉक) थी जबकि वास्तव में भारतीय मानक (भा.मा.) मापदण्डों के अनुसार अर्थात् 60 मि.मी. मोटी पैवर ब्लॉक की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, अंतिम बिल की संवीक्षा में देखा गया कि 80 मि.मी. मोटे पैवर ब्लॉक 78,427.46 वर्ग मीटर मार्ग को चौड़ा करने के लिए उपयोग किए गए थे। 80 मि.मी. मोटे पैवर ब्लॉकों (680 प्रति वर्ग मीटर) की लागत 60 मि.मी. मोटाई (461.57 प्रति वर्ग मीटर) से कहीं अधिक थी।

अतः, लो.नि.वि. ने अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, ऐसे स्थान पर उच्च विनिर्देशों वाले पैवर ब्लॉकों का उपयोग किया जिसे वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किया जाना था, जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.71 करोड़⁶⁹ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामले को नवम्बर 2015/मार्च 2016 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

3.15 दि.प्रौ.वि. द्वारा ₹ 63.86 लाख की राशि के लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति प्रभारों तथा जल प्रभारों की गैर-वसूली

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (दि.प्रौ.वि.) की ओर से शिथिलता के कारण न केवल अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं के कार्मिकों क्वॉर्टर से निष्कासन में देरी हुई बल्कि यह अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं से ₹ 63.86 लाख की राशि के लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति प्रभारों एवं जल प्रभारों को वसूल करने में भी विफल रहा।

नियमानुसार⁷⁰, कार्मिकों क्वॉर्टर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति/मृत्यु अथवा सेवा समापन इत्यादि पर क्वार्टर खाली कर देना चाहिए। हालाँकि, सेवा निवृत्ति के मामले में चार महीने (सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर दो महीने एवं सामान्य लाइसेंस शुल्क के दुगने के भुगतान पर अन्य दो महीने) की अवधि के लिए, सेवा समापन के मामले में एक महीने के लिए, स्थानान्तरण के मामले में दो महीने के लिए तथा मृत्यु के मामले में दो वर्ष, बशर्ते दिवंगत कर्मचारी अथवा उसके बच्चों का तैनाती के स्थान पर स्वयं का

⁶⁹78427.46 वर्गमीटर x ₹(680—461.57)) = ₹ 1,71,30,910 अथवा ₹ 1.71 करोड़

⁷⁰एस.आर. 317.बी- 11 (I) और (2)

मकान न हो, आवास में बने रहने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात्, आवास का आवंटन रद्द माना जाएगा। इसके पश्चात् अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं⁷¹ पर क्षतिपूर्ति/बाजार लाइसेंस शुल्क का प्रभार लगाया जाएगा।

जून 2014 के दौरान दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (दि.प्रौ.वि.)/दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज (डी.सी.ई.) के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि सरकारी कर्मचारियों अथवा सरकारी कर्मचारियों के परिवारों द्वारा सात कार्मिकों क्वार्टर पर सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवासमापन/स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित अनुज्ञेय समय सीमा के बाद भी प्रतिधारण/कब्जा था। यद्यपि ये क्वार्टर बाद में खाली कराये गये (सितम्बर 2013 से अक्टूबर 2015), फिर भी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन अधिभोक्ताओं से बकाया क्षतिपूर्ति प्रभार अथवा बाजार लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं कर सके। दि.प्रौ.वि. ने कहा (जुलाई 2012) कि ₹ 1.29 लाख की राशि वसूल की गई थी। तथापि इस वसूली को ध्यान में रखते हुए भी उनसे ₹ 62.01 लाख की राशि (जनवरी 2016 तक की) लाइसेंस शुल्क क्षतिपूर्ति प्रभारों तथा जल प्रभारों के कारण वसूली योग्य थी (जनवरी 2016)।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान (फरवरी 2012) यह भी पाया गया कि 13 स्टॉफ क्वार्टर दि.प्रौ.वि./डीसीई के कर्मचारियों के बजाय अन्य कर्मचारियों द्वारा अधिकृत किये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् दि.प्रौ.वि./डीसीई ने इन कर्मचारियों को 24 जुलाई 2013 को क्वॉटर खाली करने एवं 15 जुलाई 2009 से 30 सितम्बर 2013 तक की अवधि के लिए ₹ 1.85 लाख (लाइसेंस शुल्क हेतु ₹ 1.43 लाख + जल प्रभारों हेतु ₹ 0.42 लाख) की राशि जमा करने का नोटिस जारी किया। अगस्त 2015 के अपने उत्तर में, दि.प्रौ.वि. ने सूचित किया कि दि.प्रौ.वि. के 13 भूतपूर्व कर्मचारियों में से पाँच ने क्वार्टरों को खाली कर दिया था। आठ कर्मचारी दि.प्रौ.वि. कार्मिकों क्वार्टर में रहे थे जिनमें से चार न्यायालय में चले गए उनके संबंध में लाइसेंस शुल्क एवं जलप्रभारों की वसूली न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी तथा शेष चार को एस डी एम की उपस्थिति में निष्कासित किया जाएगा। तथापि उत्तर, में शेष मामलों में बकायों की वसूली के विषय में कुछ नहीं कहा गया।

इस प्रकार, दि.प्रौ.वि. की ओर से शिथिलता के कारण न केवल अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं के कार्मिकों क्वार्टर से निष्कासन में देरी हुई बल्कि यह अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं से ₹ 63.86 लाख (₹ 62.01 लाख + ₹ 1.85 लाख) की राशि के लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति प्रभारों एवं जलप्रभारों को वसूल करने में भी विफल रहा। इसके अतिरिक्त, इसने पात्र कर्मचारियों को हाऊसिंग सुविधाओं से वंचित रखा।

मामला सरकार को सितंबर 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

⁷¹एफ आर 45 ए के नीचे भारत सरकार शासनादेश 15

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.16 दिल्ली में सुधार गृह, किशोर सुधार गृह एवं सुधारालय का संचालन

दिल्ली में संप्रेक्षण गृहों (ओ.एच.) में पर्याप्त अवसंरचना की कमी थी। नए भवन के निर्माण पर ₹ 2.81 करोड़ का किया गया व्यय निष्कल रहा क्योंकि यह कानूनी अभियोजन में फँसे किशोरों के लिए अनुकूल नहीं था। गैर सरकारी संस्था (एन जी ओ) को समय पर अनुदान न जारी किए जाने के कारण कपड़े, बिस्तर, औषधियों की आपूर्ति, कार्मिकों को वेतन के भुगतान इत्यादि से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हुईं। निगरानी तंत्र कमज़ोर था क्योंकि निरीक्षण समिति ने ओ.एच. का निरीक्षण नहीं किया। विशेष रूप से केयर टेकर, परामर्शदाताओं एवं शिक्षकों जैसे मुख्य पदों पर कार्मिकों की कमी थी।

3.16 प्रस्तावना

संसद ने उपेक्षित बच्चों तथा कानूनी अभियोजन में फँसे किशोरों (जे सी एल)⁷² की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम को 2000 में (2006 एवं 2011 में संशोधित) अधिनियमित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, भारत सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007 बनाये व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने दिल्ली किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2009 (दि.कि.न्या.नि.) बनाये। रा.रा.क्षे.दि.स. के महिला एवं बाल विकास विभाग (म.बा.वि.वि.) ने 2009 में अधिनियम लागू करने के लिए तथा तीन संप्रेक्षण गृहों (ओएच)⁷³, दो सुरक्षा स्थानों (पी.ओ.एस.)⁷⁴ एवं एक विशेष गृह (वि.गृ.)⁷⁵ जो कि जे सी एल के रहने के लिए बनाये गए थे के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए बाल संरक्षण इकाई बनाई। बाल संप्रेक्षण गृह—I (ओ.एच.—I) मैसर्स प्रयास (एनजीओ) के द्वारा चलाया जा रहा था जबकि दूसरे सुधार गृहों का प्रबंध स्वयं म.बा.वि.वि. कर रहा था।

अधिनियम की धारणा के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढाँचे, सुविधाओं एवं सेवाओं की पर्याप्तता तथा एक प्रभावी निगरानी तंत्र विद्यमान है या नहीं, का आकलन करने के लिए ओ.एच., पी.ओ.एस., एस.एच. एवं म.बा.वि.वि. के मुख्यालय की वर्ष 2012–15 की अवधि को लेते हुए लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.16.2 वित्तीय प्रबंधन

म.बा.वि.वि. ने 2012–15 के दौरान मुख्य शीर्ष 2235 के तहत इन गृहों को बजट आवंटित किया, जिसका विवरण तालिका 3.16.1 में नीचे दिया गया है:

⁷²“किशोर” या “बच्चों” का मतलब एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है एवं “कानूनी अभियोजन में फँसे किशोर” का मतलब किशोर जिसपर अपराध करने का आरोप है।

⁷³(i) बाल संप्रेक्षण गृह—I (ओ.एच.—I) दिल्ली गेट—आयु वर्ग 7–16 वर्ष (ii) बाल संप्रेक्षण गृह-II (ओ.एच.—II) आयु वर्ग 16–18 वर्ष, किंगसवे कैम्प, एवं (iii) बालिका संप्रेक्षण गृह (कोई आयु सीमा नहीं), निर्मल छाया कम्प्लेक्स, जेल रोड, दिल्ली

⁷⁴बाल सुरक्षा स्थान, मैगजीन रोड और (ii) बालिका सुरक्षा स्थान, निर्मल छाया कम्प्लेक्स।

⁷⁵विशेष गृह का मतलब मैगजीन रोड पर जेसीएल के पहुंचने (या आमद) एवं पुनर्वास का स्थान।

तालिका 3.16.1: बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय (2012–15)

(₹ लाख में)

सुधार गृहों के नाम	आवंटित बजट		वास्तविक व्यय		बचत	
	योजनागत	गैर—योजनागत	योजनागत	गैर—योजनागत	योजनागत	गैर—योजनागत
ओ.एच.बी.—I	168.68*	-	163.50	-	5.18	-
ओ.एच.बी.—II	636.91	545.42	550.91	514.34	86.00	31.08
एस.एच./पी.ओ.एस.	479.30	96.36	333.32	92.00	145.98	4.36
ओ.एच.जी.	186.75	119.89	163.64	98.92	23.11	20.97
योग	1,471.64	761.67	1,211.37	705.26	260.27	56.41

स्रोत: आंकड़े ओ.एच./पी.ओ.एस. स्थान द्वारा प्रदान किये गये हैं *सहायता अनुदान—आवर्ती एवं गैर आवर्ती

3.16.2.1 प्रयास (एन.जी.ओ.) को अनुदान जारी करने में विलम्ब

प्रयास एवं म.बा.वि.वि. के बीच अनुबंध के खण्ड-II के अनुसार प्रयास को तीन किस्तों में अनुदान दिया जाना था। अनुमानित व्यय के 1/12 के बराबर पहली किस्त या संस्थान का वास्तविक बजट प्रावधान, जो भी कम हो, अप्रैल महीने में जारी की जाएगी तथा मई से सितम्बर तक 5 महीनों के व्यय को लेते हुए दूसरी किस्त मई के महीने या उसके बाद जारी की जाएगी। बाकी छः महीनों के व्यय को लेते हुए अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाएगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि म.बा.वि.वि. के द्वारा आवंटित ₹ 168.68 लाख की राशि में से एन.जी.ओ. प्रयास ने 2012 से 2015 के दौरान ₹ 163.58 लाख खर्च किए। तथापि म.बा.वि.वि. ने सहायता अनुदान को जारी करने के लिए निर्धारित मानदंडों का अनुकरण नहीं किया। पहली किस्त प्रायः प्रति वर्ष सितम्बर और फरवरी के बीच अर्थात् पाँच से नौ महीनों के विलम्ब के साथ जारी की गई। निधि के अभाव में, प्रयास को अपने बिजली बिल, पर ₹ 0.81 लाख का जुर्माना देना पड़ा तथा कपड़े, बिस्तर, औषधियों, खेल के सामान, पानी के बिल का भुगतान और कर्मचारियों को वेतन देने की समस्या का सामना करना पड़ा।

इसके उत्तर में, म.बा.वि.वि. के निदेशक ने लेखापरीक्षा के दावे को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2016) कि इं एल एफ ए⁷⁶ के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की उपलब्धता एवं वित्त विभाग के अनुमोदन होने पर ही अनुदान जारी करने का प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी कार्यविधिक गतिरोध के कारण से देरी हुई।

3.16.2.2 किशोर न्याय निधि का गैर—सृजन

दि.कि.न्या.नि. का नियम 95 निबंध करता है कि राज्य सरकार जे.सी.एल. के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु एक किशोर न्याय निधि (निधि) का सृजन करेगा। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि निधि के सृजन की प्रक्रिया 2007 से प्रगति पर थी, जुलाई 2015 तक इसका सृजन नहीं किया गया।

⁷⁶स्थानीय निधि लेखा परीक्षक।

अपने उत्तर में, म.बा.वि.वि. ने कहा (जुलाई 2015) कि ₹ पांच लाख के प्राथमिक धन से एक खाता अक्टूबर 2007 में खोला गया था परन्तु फरवरी 2012 में लेखा महानियंत्रक (ले. म.नि.) द्वारा की गई अभ्युक्तियों की गैर अनुपालना के कारण निधि हेतु लेखा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी।

3.16.3 बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं की उपलब्धता

3.16.3.1 अपर्याप्त आवास

दि.कि.न्या.नि. का नियम 40 प्रत्येक संस्थान (ओ.एच., पी.ओ.एस एवं एस.एच.) में कार्यालय कक्ष, कक्षा, भोजन कक्ष, रोगी-कक्ष, कार्यशाला, भण्डार गृह इत्यादि हेतु स्थान के लिए मापदण्डों को निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि दिल्ली में किशोर संस्थान इन सुविधाओं के लिए जगह हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं कर रहे थे (**अनुलग्नक-3.4**)। इसके अतिरिक्त, दिल्ली गेट के ओ.एच.बी.-I में मनोरंजन कक्ष एवं पुस्तकालय नहीं था तथा किंग्सवे कैम्प का ओ.एच.बी.-II बिना किसी कार्यशाला के चल रहा था। उसी तरह, पी.ओ.एस./एस.एच. में रोगी कक्ष, मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय, परामर्श एवं मार्गदर्शन कक्ष, कार्यशाला एवं पर्याप्त खेल का मैदान नहीं था।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि पी.ओ.एस. भी एक ऐसे काम्पलेक्स में स्थित है जो कि बहुत सुरक्षित है क्योंकि इसके निवासियों को अलग-अलग रखने और अत्यधिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। तथापि, ओ.एच.बी.-I में आवास की कमी पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

3.16.3.2 प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक हेतु निवास की कमी

दि.कि.न्या.नि. के नियम 86 के अनुसार, सुधार गृह के प्रभारी की संस्थान के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेवारी होगी एवं उसे संस्थान के परिसर के भीतर रहना होगा। यदि संस्थान के परिसर के भीतर आवास उपलब्ध नहीं है तो प्रभारी को संस्थान के निकट के स्थान पर तब तक रहना चाहिए, जब तक उसे संस्थान के भीतर आवास उपलब्ध नहीं हो जाता है। तथापि, संस्थान के परिसर में ओ.एच.बी.-II, ओ.एच.जी. और पी.ओ.एस./एस.एच. के अधीक्षक हेतु आवास उपलब्ध नहीं था। वे संबंधित संस्थान से 9 से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित अपने घरों में रह रहे थे।

उपनिदेशक (सी.पी.यू), म.बा.वि.वि. ने कहा (जुलाई 2015) कि सेवा कुटीर काम्पलेक्स में स्थित आवासों एवं भू-सम्पदा के विभाजन के मामले को सामाजिक कल्याण विभाग के साथ अंतिम रूप नहीं दिया गया था। आगे कहा गया कि किसी आपातकाल स्थिति पर ध्यान रखने के लिए, जिला अधिकारी काम्पलेक्स के अंदर रहते हैं। तथ्य यह है कि प्रभारी/अधीक्षक कार्यालय समय के बाद होने वाली किसी घटना के समय जब उनकी उपस्थिति की जरूरत होगी अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाने की स्थिति में नहीं होंगे।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने (फरवरी 2016) कहा कि तत्कालिक अधीक्षक दिसम्बर 2015 से संस्थान के निकट में ही स्थित कार्मिकों कॉर्टर कम्पलेक्स में रह रहे थे। ओ.एच.जी. एवं पी.ओ.एस./एस.एच. के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था।

3.16.3.3 अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्देशित और आवश्यकता के अनुसार कानूनी अभियोजन में फँसे किशोरों (जे.सी.एल.) को स्थान और आधारभूत संरचना प्रदान न करना

म.बा.वि.वि. ने सेवा कुटीर कम्पलेक्स, किंग्सवे कैम्प के परिसर में तीन सुधार गृहों (अर्थात् पी.ओ.एस., एस.एच. एवं उपभवन⁷⁷) हेतु भवन बनाने का निर्णय किया (अगस्त 2012) और लो.नि.वि. से भवन हेतु ऐसी योजना बनाने के लिए अनुरोध किया (मार्च 2013) कि तीनों सुधार गृह को अलग—अलग किया जाए एवं जे.सी.एल. के आपसी मेलजोल को रोकने के लिए प्रत्येक में प्रवेश स्वतंत्र हो। म.बा.वि.वि. ने अंतिम रूप रेखा/योजना स्वीकृत किया (मई 2013) एवं लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) को ₹ 3.37 करोड़ के एक समग्र प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्थीकृति (मई एवं जुलाई 2013) दी। जनवरी 2015 तक लो.नि.वि. द्वारा भवन के निर्माण पर ₹ 2.81 करोड़ व्यय किये गये।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि म.बा.वि.वि. द्वारा स्वीकृत नक्शे और योजना के अनुसार भवन का निर्माण पूरा हो गया था, परन्तु पूर्ण होने पर म.बा.वि.वि. ने इसे उपयुक्त नहीं पाया एवं कब्जा लेने से मना कर दिया तथा तर्क दिया गया कि भवन के प्रत्येक विश्राम गृह एवं कमरों में वेंटिलेशन एवं प्राकृतिक प्रकाश नहीं था। पी.ओ.एस./एस.एच. के अधीक्षक के विचार में समग्रतः नये भवन का डिजाईन एवं निर्माण जे.सी.एल. के आवास के लिए अनुकूल नहीं थे। स्पष्टतः, किशोरों की आवासीय आवश्यकताओं का आकलन विभाग एवं लो.नि.वि. द्वारा नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ के व्यय के बावजूद, अधिनियम के तहत विनिर्देशित और आवश्यकता के अनुसार जे सी एल को पर्याप्त स्थान और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया।

इसके उत्तर में म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि भवन का उपयोग नवीन किशोर न्याय बोर्ड-III द्वारा किया जा रहा था जो कि भवन में क्रियाशील था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भवन सुधार गृह में रह रहे किशोरों के लिए नियत था।

3.16.3.4 विशेष सुधार गृहों में असंतोषजनक स्वच्छता सेवाएँ

2011–12 से मैसर्स एडवांस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड (ए.एस.पी.एल) द्वारा पी.ओ.एस./एस.एच. में स्वच्छता सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। लेखापरीक्षा संविक्षा ने दर्शाया कि सितम्बर 2012 से फरवरी 2013 के दौरान संस्था ने स्वच्छता सेवाएँ हेतु केवल तीन लोगों को लगाया जबकि अनुबंध के अनुसार चार की आवश्यकता थी। यह भी देखा गया कि स्वच्छता कर्मचारी रविवार और सरकारी छुट्टियों में कार्य पर नहीं आये और कार्य के घंटे समाप्त होने से पहले संस्थान से चले जाते थे। मुलाकाती पंजिका में उप निदेशक की टिप्पणी (दिसंबर 2014) और न्याय समिति के दौरों (मई 2014) और लेखापरीक्षा के दौरों (जून 2015) द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों की अनियमित उपस्थिति, सभी खण्डों के स्नान गृहों और शौचालयों की दयनीय स्थिति और सामान्यतः गंदे फर्शों का पता चला।

⁷⁷उपभवन: ओ.एच.बी.-I एवं ओ.एच.बी.-II के जे.सी.एल., जो झगड़ा, लडाई इत्यादि जैसी समस्या उत्पन्न करते हैं, को जिस अलग छात्रावास में रखा जाता है, उपभवन कहते हैं।

अधीक्षक ने स्वीकार किया (जून 2015) कि स्वच्छता कर्मचारियों ने संतोषजनक कार्य नहीं किया क्योंकि संस्था उन्हें समय से भुगतान नहीं कर रही थी। यह जोड़ा गया कि अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 के दौरान फर्म पर ₹ 1.19 लाख का जुर्माना लगाया गया था।

मामला सरकार को नवम्बर 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2016)।

3.16.3.5 कपड़े एवं बिस्तर से संबंधित नियम 41 का अनुपालन न होना दि.कि.न्या.नि के नियम 41 के अनुसार, मानक एवं जलवायु के अनुसार जे.सी.एल. को कपड़े बिस्तर एवं प्रसाधन की मदों को मुहैया कराया जाना चाहिए। नियम की सूची-I के अनुसार आवश्यकतानुसार कीटनाशक स्प्रे, कीड़े मारने की दवा का ओ.एच. में प्रयोग किया जाना चाहिए एवं मच्छर भगाने की दो टिकिया का भी प्रतिमाह प्रति कमरे प्रयोग किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2012–15 के दौरान बा.अ.गृ–I में शोर्ट्स, स्वेटर, ट्रेक सूट, गद्दे, रुमाल, तकिया जैसे सामान जे.सी.एल. को मुहैया नहीं कराये गये थे। कीटनाशक का 2013–15 के दौरान छिड़काव नहीं किया गया था, कीड़े मारने के लिए प्रभावी तत्व का इस्तेमाल नहीं किया गया एवं पूरे सुधार गृहों में मच्छर मारने के लिए केवल दो टिकियों का इस्तेमाल हुआ।

2012–15 के दौरान, ओ.एच.बी.–I, ओ.एच.बी.–II, पी.ओ.एस./एस.एच. एवं ओ.एच.जी. हेतु अधिकृत पैमाने से ज्यादा/कम मात्रा में शर्ट, पैंट, बनियान, अंडरवियर, सलवार कमीज, ब्रेसियर, पैंटीस एवं चप्पलें जारी की गई।

परियोजना प्रबंधक, ओ.एच.बी.–I ने कहा (मई 2015) कि म.बा.वि.वि. के द्वारा समय से निधि के नहीं दिये जाने के कारण जे.सी.एल. को निर्धारित सामान मुहैया नहीं कराया जा सका। फरवरी 2016 में, म.बा.वि.वि. के निदेशक ने, ओ.एच.बी. के परिप्रेक्ष्य में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकृत करते हुए कहा कि कुछ जे.सी.एल. को ओ.एच.जी. में रखा गया और वहाँ उन्हें बहुत अल्प अवधि (एक या दो दिन) के लिए रखा गया। लड़कियों द्वारा इस्तेमाल नहीं किये गए ऐसे सामानों को पुनः नये आगन्तुकों को जारी किया गया था और भण्डार में स्टॉक अपरिवर्तित रहा। अन्य गृहों के बारे में कमियों पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

3.16.4 गृहों का प्रबंधन और सुरक्षा

3.16.4.1 विशेष गृह, मैगजीन रोड में निषिद्ध मदों का पाया जाना

दि.कि.न्या.नि. के नियम 51 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संस्थाओं में अग्नेयास्त्र या हथियार, अल्कोहल व स्प्रिट, भांग, गांजा इत्यादि जैसी निषिद्ध वस्तुएँ नहीं लायेगा। तथापि, 2013–15 के दौरान अधीक्षक एवं कल्याण अधिकारी द्वारा नौ अवसरों पर पी.ओ.एस./एस.एच. की आकस्मिक जाँच एवं तलाशी में जे.सी.एल. के पास सर्जिकल ब्लेड, बीडी, सिगरेट, सिम सहित मोबाईल, तम्बाकू, गांजा, लोहे की छड़ें इत्यादि जैसी निषिद्ध वस्तुएं पाई गई। यह सुधार गृहों में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश की जाँच एवं रोकथाम में सुरक्षा विफलता को दर्शाता है।

इसके उत्तर में, म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि मार्च 2014 से डी जी आर के साथ सूचीबद्ध एक एजेंसी को तैनात किया गया है तथा निषिद्ध मदों की जाँच के लिए नियमित डिल चलाये जा रहे थे। उत्तर लेखापरीक्षा के कथन की पुष्टि करता है।

3.16.5 निगरानी

3.16.5.1 निरीक्षण समिति द्वारा दौरे का गैर आयोजन

दि.कि.न्या.नि. के नियम 63 के अनुसार राज्य सरकार में राज्य, जिला या शहर के स्तर पर निरीक्षण समिति का गठन किया जाएगा जो संस्थानों का दौरा करेंगी, एवं संस्थानों की स्थिति का निरीक्षण करेंगी, किये जा रहे देखभाल एवं संरक्षण के मानक की समीक्षा करेंगी एवं प्रबंधन समिति तथा बच्चों की समिति के कामकाज को देखेंगी। निरीक्षण समिति को संस्थाओं का तिमाही निरीक्षण करना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निरीक्षण समिति ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी ओ.एच./पी.ओ.एस./एस.एच. (मार्च 2015 में एक ओ.एच.बी. को छोड़कर) का निरीक्षण नहीं किया।

म.बा.वि.वि. ने कहा (जून 2015) कि निरीक्षण समिति (कुल सात, प्रत्येक जिले के लिए एक) का दिसम्बर 2012 में गठन किया गया जिसे विभागों व बाल कल्याण एवं विकास के क्षेत्र के काम कर रहे एन जी ओ के बीच समन्वय रखना था। परन्तु समितियाँ समन्वय मुद्दों के कारण कार्य नहीं कर रही थी। आगे यह भी कहा गया कि निरीक्षण समिति अप्रैल 2015 में पुनः गठित की गई थी। उत्तर पुष्टि करता है कि निरीक्षण समितियों ने किसी भी सुधार गृह का निरीक्षण नहीं किया।

इसके उत्तर में, मा.बा.वि.वि. के निदेशक ने (फरवरी 2016) कहा कि जाँच समिति नियमित रूप से दौरा कर रही थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी गृह (एक को छोड़कर) का निरीक्षण जाँच समिति ने नहीं किया।

3.16.5.2 प्रबंधन समिति की अपर्याप्त बैठकें

दि.कि.न्या.अ. का नियम 55 (5ए) अनुबंध करता है कि जे.सी.एल. से जुड़े मामलों में ओ.एच.बी./ओ.एच.जी./पी.ओ.एस./एस.एच. की प्रबंध समिति, विचार व समीक्षा हेतु प्रतिमाह बैठक करेगी। तथापि, तीन वर्षों 2012–15 के दौरान प्रबंधन समिति ने प्रत्येक के लिए आवश्यक 36 बैठकों के प्रति ओ.एच.बी.—I के लिए 16 बार, पी.ओ.एस./एस.एच. हेतु 10 बार तथा ओ.एच.जी. हेतु पाँच बार बैठकें कीं। बा.आ.गृ—II के लिए बैठकों के अभिलेख जे.सी.एल. के द्वारा की गई आगजनी की घटना में नष्ट हो गये।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि प्रबंधन समिति की नियमित बैठक चल रही है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रत्येक महीने में मापदण्डों के अनुसार नियमित बैठकें नहीं की गयी थी।

3.16.5.3 कम्प्यूटरीकृत डाटा का गैर रखरखाव

दि.कि.न्या.अ. के नियम 54(2) के अनुसार, संस्थानों और बोर्ड या समिति के द्वारा सभी मामलों की फाइलों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा व नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि डाटा जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार को केन्द्रीय रूप से उपलब्ध हो पाये।

तथापि, ओ.एच.बी.-I, ओ.एच.बी.-II / पी.ओ.एस. के अधीक्षकों ने कहा (जुलाई 2015) कि कम्प्यूटरीकृत डाटा/प्रकरण फाईल का रखरखाव नहीं किया गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि को जोड़ते हुए सामाजिक विवरण, प्रकरण विवरण, व्यक्तिगत देखरेख योजना से सम्बंधित विवरण का रखरखाव मैनुअली किया गया। तथापि, कि.न्या.बो. के लिए साप्ताहिक प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत फार्मेट में जे.सी.एल. के विवरण को दर्शाते हुए भेजा जा रहा था। आगे यह कहा गया कि डाटा का कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव म.बा.वि.वि के पास लम्बित था।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि गृहों को कम्प्यूटर प्रदान किया गया तथा अधीक्षकों को कम्प्यूटरीकृत डाटा रख-रखाव के लिए निर्देश दिया गया है। उत्तर तथ्यों की पुष्टि करता है।

3.16.6 मानव संसाधन

3.16.6.1 श्रमशक्ति की कमी

दि.कि.न्या.नि. के नियम 68 के अनुसार, प्रत्येक कार्मिक वर्ग में पदों की संख्या संस्थान की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

31 मार्च 2015 को चार सुधार गृहों हेतु 146 स्वीकृत पदों के प्रति केवल 98 पद (67 प्रतिशत) ही भरे गये थे। केयर टेकर (48 में से 22), परामर्शदाता (पाँच में से तीन) शिक्षक (आठ में से सात) जैसे अहम पदों में कमी के चलते संरक्षण एवं संशोधनात्मक भूमिका के संबंध में इन सुधार गृहों के संचालन से समझौता किया गया। जे सी एल का इन संस्थाओं से भागने का लगातार प्रयास और निषिद्ध पदार्थों का उनके पास पाया जाना इसको प्रमाणित करता है।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि विभाग में अधिक पदों के सृजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

3.16.6.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

दि.कि.न्या.नि. के नियम 80(जी) एवं 90 के अनुसार, राज्य सरकार सुधार गृहों में सभी वर्ग के कर्मचारियों को उनके संवैधानिक या जिम्मेदारियाँ एवं विशेष कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण देगी। तथापि 2012–15 के दौरान सुधार गृहों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

निदेशक, म.बा.वि.वि. ने कहा (फरवरी 2016) कि विभाग ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु विभिन्न एजेंसियों से अनुरोध किया था एवं कुछ एजेंसियाँ प्रशिक्षण सत्र का आयोजन भी कर रही है।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

3.17 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा

2008–13 की अवधि को लेते हुए 'प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग' (प्र. एवं त.शि.वि.) पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं. 2) नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था, जिसको 01 अगस्त 2014 को दिल्ली विधान सभा के समक्ष रखा गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा में 31 अभ्युक्तियाँ तथा चार सिफारिशें शामिल थीं। इन चार सिफारिशों के अंतर्गत 23 कार्रवाई योग्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ हैं जिन पर विभाग को सुधारक कार्रवाई करना अपेक्षित था। निदेशालय के कार्यालयों में संबंधित अभिलेखों की जाँच द्वारा अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न मामलों पर की गई कार्रवाई की जाँच की गई। लेखापरीक्षा सिफारिशों और संबंधित अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति को 'निरर्थक अथवा कोई प्रगति नहीं', 'संतोषजनक प्रगति' तथा 'सभी अभीष्ट क्षेत्रों में पूरी प्रगति' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

क. सिफारिश: गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन सी बी टी) तथा महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण (डी जी ई एंड टी) के मानकों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराना।

इस सिफारिश के अंतर्गत कार्रवाई योग्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:

निरर्थक अथवा कोई प्रगति नहीं:

(i) **ट्रेड में 106 नई इकाईयों का अवसंरचना के बगैर आरम्भ करना (पैरा 2.2.7.2):** निदेशालय ने सुदृढ़ योजना तथा नीतिगत रोडमैप के बिना आई टी आई में 106 नई इकाईयाँ आरम्भ कीं और आवश्यक अवसंरचना तथा संकाय सदस्यों को सुनिश्चित करने में विफल रहा। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) और ए टी एन में (अगस्त 2015) कि आई टी आई को, उपलब्ध स्थान तथा उपकरणों के बेहतर उपयोग के लिए संस्थानों को दो शिफ्टों में चलाने के अनुदेश दिए जा रहे थे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे कोई अनुदेश नवंबर 2015 तक जारी नहीं किए गए थे तथा चयनित आई टी आई दो शिफ्टों में नहीं चल रही थी। उप निदेशक (योजना) ने कहा (अक्तूबर 2015) कि विभिन्न संस्थानों के सावधानी से किए गए विश्लेषणों और सर्वेक्षण के पश्चात् संस्थानों में उपलब्ध अवसंरचना दो शिफ्टों में चलाए जाने के लिए पर्याप्त नहीं पाई गई थे।

संतोषजनक कार्यान्वयन / प्रगति:

(i) **मानव संसाधन प्रबंधन (पैरा 2.2.4 एवं 2.2.4.1):** कुल मिलाकर कार्मिकों की कमी थी (32 प्रतिशत)। 31 प्रतिशत शिल्प प्रशिक्षक (शि.प्र.) तथा 62 प्रतिशत समूह प्रशिक्षक (स.प्रशि.) की कमी थी।

निदेशालय ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

निदेशालय ने रा.रा.क्षे.दि.स. के दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डी.एस.एस.बी.) तथा सेवा एवं वित्त विभाग के समक्ष मामले को उठाया। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि 30 सितम्बर 2015 को 1076 कार्मिकों (35.40 प्रतिशत) की अभी तक कमी थी। ए.टी.एन. के अनुसार शि.प्रशि. तथा स.प्रशि. की भर्ती की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि शि.प्रशि. के 34 प्रतिशत पद तथा स.प्रशि. के 21 प्रतिशत पद (20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशिक्षकों सहित) अभी तक रिक्त थे (सितम्बर 2015)।

(ii) आई टी आई में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी (पैरा 2.2.4.2): पाँच चयनित आई टी आई में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित एन.सी.वी.टी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। यह इंगित किया गया कि चयनित आई टी आई में 345 में से केवल 40 प्रशिक्षकों (12 प्रतिशत) ने राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (रा.शि.प्र.प्र.) प्राप्त किए थे। निदेशालय ने कहा (जनवरी 2014) कि आवश्यक आदेश जारी किए गए थे तथा प्रशिक्षण का संचालन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के माध्यम से किया जा रहा था।

ए.टी.एन. में यह कहा गया कि प्रशिक्षु का प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर संचालित किया गया। फिर भी सत्यापन में लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.शि.प्रशि.प्र. हेतु प्रशिक्षण संचालित नहीं किया गया। उप निदेशक (शैक्षिक) ने कहा (नवम्बर 2015) कि प्रशिक्षकों की कमी के कारण रा.शि.प्र.प. के लिए विद्यार्थियों को प्रायोजित नहीं किया जा सका।

(iii) पॉलीटेक्निक्स में कार्मिकों की कमी (पैरा 2.2.4.3): लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने पोलिटेक्निक्स में कार्मिकों की कमी को दर्शाया गया था। संस्वीकृत 1080 में से 309 तकनीकी पद (29 प्रतिशत) रिक्त थे। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों को भरने हेतु डी.एस.एस.बी. के साथ प्रयास किए जा रहे थे।

ए.टी.एन. के अनुसार मामले को डी.एस.एस.बी. तथा सं.लो.से.आ. के साथ जारी रखा जा रहा था। तथापि नवम्बर 2015 तक कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा को दी गई सूचना (अक्टूबर 2015) के अनुसार पोलिटेक्नीक्स में संस्वीकृत 1147 में से 468 तकनीकी पद (42 प्रतिशत) रिक्त थे।

(iv) लिपिक वर्गीय कार्मिकों की कमी (पैरा 2.2.4.4): निदेशालय में लिपिक वर्गीय कार्मिकों की कमी को इंगित किया गया जैसा कि 671 में से 318 पद रिक्त थे। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

निदेशालय ने रिक्त पदों को भरने हेतु सचिव (सेवा) के साथ कई बार मामले को उठाया। फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई।

लेखापरीक्षा को दी गई सूचना (अक्टूबर 2015) के अनुसार लिपिकवर्गीय कार्मिकों के संस्वीकृत 766 में से 326 पद (43 प्रतिशत) रिक्त थे।

(v) जी.बी. पन्त कॉलेज में तकनीकी कार्मिकों के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए (पैरा 2.2.4.5): जी.बी. पन्त कॉलेज ने 57 पदों को विपरित, ठेकागत अथवा बाह्य

ख्रोत आधार पर भरा जबकि कुल 98 तकनीकी पदों में से 41 पद रिक्त थे क्योंकि भर्ती नियमों (भ.नि.) को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि भर्ती नियमों को निदेशालय द्वारा अधिसूचित किया गया था (जनवरी 2014) तथा शिक्षण कार्मिकों के लिए माँग को सं.लो.से.आ. में भेजा गया परन्तु अक्टूबर 2015 तक कोई नियुक्ति नहीं की गई।

लेखापरीक्षा को और दी गई सूचना (अक्टूबर, 2010) के अनुसार 98 पदों में से 33 पद (34 प्रतिशत) रिक्त थे।

(vi) **अंबेडकर कॉलेज में तकनीकी कार्मिकों की कमी (पैरा 2.2.4.6):** अंबेडकर कॉलेज में शिक्षण एवं तकनीकी कार्मिकों की कमी को इंगित किया गया। संस्थीकृत 109 में से 60 शिक्षण एवं तकनीकी पद रिक्त थे। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि इन रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

इस मामले में भी लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निदेशालय द्वारा भर्ती नियमों को अधिसूचित कर दिया गया था तथा शिक्षण कार्मिकों हेतु माँग सं.लो.से.आ. को भेजी गई थी, परन्तु अक्टूबर 2015 तक कोई नियुक्ति नहीं हुई।

निदेशालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार (अक्टूबर 2015) संस्थीकृत 109 में से 52 शिक्षण एवं तकनीकी पद (48 प्रतिशत) रिक्त थे।

(vii) **औजारों एवं उपकरणों की कमी (पैरा 2.2.5.2):** अरब की सराय (ए.के.एस.), धीरपुर तथा सिरिफोर्ट की आई टी आई, एन सी वी टी की मानक औजार सूची के अनुसार औजारों एवं उपकरणों से सुसज्जित नहीं थे। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि इस उद्देश्य के लिए योजना निधियों को बढ़ाने हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने “आई टी आई/ बी. टी. सी. के आधुनिकीकरण एवं पुनः संरचना” के अंतर्गत स्कीम निधियों को थोड़ा सा बढ़ाया था। तथापि, चयनित आई टी आई नवंबर 2015 तक मानक औजार सूची (मा.ओ.सू.) से अभी तक पूरी तरह सुसज्जित नहीं थे, यदि पवाँ निधियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत 2013–15 के दौरान ₹ 711 लाख आवंटित किया गया जिसमें से केवल ₹ 423.01 लाख (59 प्रतिशत) उपयोग किया गया।

चयनित आई टी आई में लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 2014–15 में उपशीर्ष “मशीनरी एवं उपकरण” के अंतर्गत बचतें 51 और शत प्रतिशत (धीरपुर व सिरिफोर्ट के आई टी आई को छोड़कर) के बीच थीं।

(viii) **डीजल जनरेटर सैटों की गैर-उपलब्धता (पैरा 2.2.5.3):** तीन आई टी आई (शाहदरा, सिरिफोर्ट तथा पूसा) में डीजल जनरेटर (डी.जी.) उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को डी.जी. सैटों के लिए स्थान की उपलब्धता का निर्धारण करने हेतु अनुदेश दिए गए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अब आई टी आई शाहदरा में डी.जी. सैट उपलब्ध था। जबकि आई टी आई पूसा तथा सिरिफोर्ट के प्रधानाचार्यों ने कहा (अक्टूबर 2015) कि डी.जी. की

आवश्यकता नहीं थी।

(ix) प्रशिक्षण के लिए कच्चे माल तथा उपभोज्य वस्तुओं की कमी (पैरा 2.2.5.4): आई टी आई पूसा ने एक ट्रेड में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु कच्चे माल तथा उपभोज्य क्रय नहीं किए। विभाग ने कहा कि प्रधानाचार्यों को कच्चे माल/उपभोज्य की आवश्यकता का पहले ही आकलन करने के निर्देश दिए।

लेखापरीक्षा ने सत्यापन में देखा कि प्रशिक्षण के लिए कच्चा माल समय—समय पर क्रय किया गया, तथापि आई टी आई पूसा द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित 463 मदों का क्रय नहीं किया गया।

(x) नये आई टी आई की स्थापना तथा आई टी आई का नवीकरण (पैरा 2.2.6): बवाना तथा द्वारका में आई टी आई का निर्माण शुरू नहीं किया गया था तथा मंगोलपुरी में आई टी आई का निर्माण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मंगोलपुरी आई टी आई का निर्माण कार्य कर लिया गया तथा नया एकेडमिक सत्र भी 2015 में शुरू हो चुका था। लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त देखा कि बवाना और द्वारका के नए आई टी आई के निर्माण के मामले को बंद कर दिया गया था।

(xi) छतरपुर में आई टी आई (पैरा 2.2.6.1): विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण छतरपुर में आई टी आई का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका यद्यपि इस पर 2006 में विचार किया गया था। विभाग ने कहा कि आई टी आई के निर्माण का प्रस्ताव अभी तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/दिल्ली कैंसर सोसाइटी से प्रतीक्षित था। यह भी कहा गया कि मामले को प्रयुक्त भूमि की स्थिति को निश्चित करने हेतु उपायुक्त (दक्षिण) के साथ आगे बढ़ाया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भूमि के विनिमय का प्रस्ताव माननीय उप राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग को वन विभाग के साथ भूमि के स्वैप्निंग हेतु आवेदन के लिए प्राधिकृत कर दिया (सितंबर 2015)।

(xii) रनहोला में आई टी आई (पैरा 2.2.6.2): निदेशालय को रनहोला में आई टी आई के लिए भूमि का आवंटन अगस्त 2002 में किया गया परन्तु निर्माण आरंभ नहीं किया गया। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सीमांकित भूमि की अभिन्यास योजना बी.डी.ओ. (नांगलोई) तथा लो.नि.वि. से प्रतीक्षित थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में कोई बहुत अधिक प्रगति नहीं थी। निदेशालय ने केवल सितंबर 2015 में अभिन्यास योजना प्रस्तुत करने हेतु लो.नि.वि. के साथ अनुपालन किया। लो.नि.वि. द्वारा अक्तूबर 2015 में अभिन्यास योजना प्रस्तुत की गई तथा भूमि के आवंटन के 14 वर्ष पश्चात तक भी निर्माण आरंभ किया जाना शेष था।

(xiii) शाहदरा में आई टी आई की नयी ईमारत का निर्माण (पैरा 2.2.6.3): वर्ष 2007 में प्रस्तावित शाहदरा में आई टी आई की नयी ईमारत नहीं बनी थी। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सलाहकार की नियुक्ति हेतु निविदाकरण प्रक्रियाधीन था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 38.38 लाख की व्यय संस्थीकृति को व्यापक सलाह सेवाओं हेतु जारी किया गया था (जून 2015) तथा सलाहकार नियुक्त किया गया परन्तु निर्माण कार्य अक्टूबर 2015 तक शुरू नहीं किया गया।

(xiv) डिग्री कॉलेजों को पोलिटेक्निक्स का गैर-उन्नयन (पैरा 2.2.8.1): 2008-09 में कस्तूरबा महिला पोलिटेक्निक तथा अंबेडकर पोलिटेक्निक को डिग्री कॉलेजों के रूप में उन्नत करने का प्रस्ताव किया गया परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। विभाग ने कहा (जून 2013) कि पोलिटेक्निक्स के उन्नयन को वास्तविक रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि इसमें अतिरिक्त स्थान, अवसंरचना तथा कार्मिकों का उन्यन्न शामिल था।

उप निदेशक ने जून 2013 के अपने पूर्व उत्तर को दोहराते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि इन संस्थानों में बी.वोक. कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा था।

(xv) मशीनरी एवं उपकरणों की प्रतिस्थापना तथा आधुनिकीकरण (पैरा 2.2.9): यह ध्यान दिलाया गया था कि पोलिटेक्निक्स के पास पाठ्यक्रम चलाए जाने के लिए मानक औजार सूची (मा.ओ.सू.) नहीं थी। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर आधारित थी।

ए.टी.एन में निदेशक (योजना) ने कहा कि पोलिटेक्निक्स को ए.आई.सी.टी.ई. मानक का पालन करना था और वहाँ मानक औजार सूची का कोई प्रावधान नहीं था और यह भी कहा कि मशीनों तथा उपकरणों की खरीद हेतु दो केन्द्रीकृत खरीद समितियाँ गठित की गई थीं (सितंबर 2015)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निदेशालय प्रत्येक आई टी आई में निरीक्षण के द्वारा औजारों तथा उपकरणों की आवश्यकता का आश्वासन दे रहा था।

(xvi) आई टी आई शाहदरा का उत्कर्ष केन्द्र के रूप में उन्नयन (पैरा 2.2.10.2): सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) के तरीके के अंतर्गत आई टी आई शाहदरा को हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के उत्कर्ष केन्द्र के रूप में विकसित नहीं किया गया। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आई एम सी के अध्यक्ष ने ₹ 7.00 लाख की लागत पर बिना यथोचित प्रक्रिया अपनाए एक सलाहकार की नियुक्ति की जिसके कारण अध्यक्ष तथा संस्थान/निदेशालय के बीच विवाद हुआ।

उप-निदेशक (योजना) ने कहा (अक्टूबर 2015) कि राज्य संचालन समिति की बैठक अक्टूबर 2015 में की गई तथा नए उद्योग साझीदारों की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया गया।

(xvii) कंप्यूटर लैबों की गैर स्थापना (पैरा 2.2.14): किसी भी चयनित आई टी आई में कोई कंप्यूटर लैब स्थापित नहीं की गई। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि कंप्यूटर लैब की स्थापना प्रक्रियाधीन थी।

ए टी एन में उपनिदेशक (योजना) ने कहा (जुलाई 2015) कि सभी संस्थानों में कंप्यूटर लैबों के लिए कंप्यूटर तथा अन्य अवसंरचना की संख्या पर्याप्त थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि उप-निदेशक (योजना) ने सभी आई टी आई को कंप्यूटर लैब स्थापित करने के अनुदेश दिए (जनवरी 2014), चयनित आई टी आई में से केवल सिरिफोर्ट आई टी आई ने कंप्यूटर लैब स्थापित किया था।

ख. सिफारिश: सभी आई टी आई द्वारा भुगतान किए जा रहे विद्युत अनुबंध मांग तथा टैरिफ दरों की समीक्षा करना।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जिस पर कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई थी, निम्नवत है:

संतोषजनक कार्यान्वयन / प्रगति:

(i) **विद्युत् प्रभारों पर परिहार्य व्यय (पैरा 2.2.2.2):** एन.डी.पी.एल ने पूसा पोलिटेक्नीक पर गैर-घरेलू दरों से विद्युत प्रभार उद्ग्रहीत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 56.64 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ। विभाग ने मामले को टाटा पॉवर, लो.नि.वि. तथा पॉवर विभाग के साथ उठाने का आश्वासन दिया (जनवरी 2014)।

पूसा पोलिटेक्नीक के प्रधानाचार्य ने मामला टाटा पॉवर के समक्ष उठाया तथा कानूनी कार्रवाई के लिए जुलाई 15 में नोटिस जारी कर दिया। टाटा पॉवर ने अक्टूबर 2015 में सूचना दी कि मामला विचाराधीन था।

हालांकि, निदेशालय ने, जैसा आश्वासन दिया था, वसूली के मामले को पॉवर विभाग के समक्ष नहीं उठाया। टाटा पॉवर को भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली अभी तक बकाया थी (नवंबर 2015)। लेखापरीक्षा ने देखा (नवंबर 2015) कि चयनित पाँच आई टी आई ने विद्युत की अनुबंध मांग तथा टैरिफ दरों हेतु समीक्षा करने के लिए कार्रवाई आरंभ की थी।

ग. सिफारिश: स्कूल के बच्चों में विभिन्न ट्रेड के क्षेत्रों की जानकारी फैलाने के लिए कदम उठाना तथा आई टी आई में ड्रापआउट दर को रोकने हेतु दाखिले से पहले तथा बाद में सभी संस्थानों में काउंसलिंग का प्रबंध करना।

इस सिफारिश के अंतर्गत कार्रवाई योग्य लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की स्थिति निम्नवत है:

संतोषजनक कार्यान्वयन / प्रगति:

(i) **आई टी आई में प्रशिक्षार्थियों का दाखिला तथा छोड़ना (पैरा 2.2.3):** पाँच चयनित आई टी आई में ड्रापओउट दर 16 से 23 प्रतिशत की रेंज में थी। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को 'दाखिला अभियान' पर कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु अनुदेशित किया गया था।

सहायक निदेशक (शैक्षिक) ने जनवरी 2014 में सभी आई टी आई को जानकारी तथा दाखिला अभियान आरम्भ करने हेतु अनुदेश जारी किए। तथापि सिवाए सिरीफोर्ट के, चयनित आई टी आई⁷⁸ ने निर्देशों का पालन नहीं किया। सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) ने ए.टी.एन. में कहा कि ड्रापआउट की स्थिति को भांपते हुए प्रत्येक ट्रेड में 30 प्रतिशत अधिक दाखिले किए गए थे तथा सभी प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षार्थियों को जानकारी देने हेतु अनुदेशित किया गया था। फिर भी लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच चयनित आई टी आई में 2013–15 की अवधि के लिए ड्रापआउट दर 25.4 प्रतिशत की रेंज तक थी।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त देखा कि न तो आई टी आई ने जानकारी फैलाने तथा दाखिला अभियान से संबंधित कोई अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही शैक्षिक शाखा ने इसको प्राप्त करने की कोशिश की।

⁷⁸1. आई टी आई पूसा 2. आई टी आई अरब की सराय 3. आई टी आई शाहदरा 4. आई टी आई सिरिफोर्ट तथा 5. आई टी आई धीरपुर

घ. **सिफारिश:** ट्रेड एवं इकाईयों की उच्च प्राथमिकता देना।

इस सिफारिश के अंतर्गत कार्रवाई योग्य लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की स्थिति निम्नवत है:

संतोषजनक कार्यान्वयन / प्रगति:

(i) **असंबद्ध ट्रेड तथा इकाईयाँ (पैरा 2.2.11):** आई टी आई में लम्बे समय से चल रहे विभिन्न ट्रेड एन सी वी टी से संबद्ध नहीं थे। विभाग ने कहा कि सभी प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे कि कोई ट्रेड असंबद्ध नहीं रह गया है।

ए टी एन में सहायक निदेशक (परीक्षा) ने कहा (जुलाई 2015) कि असंबद्ध प्राप्त करने हेतु आई टी आई को अनुदेश जारी किए गए थे। तथापि कुल 17 में से 15 आई टी आई सी वी टी के साथ असंबद्धता के सभी मानकों को पूरा नहीं करते थे। निदेशालय की लेखापरीक्षा ने देखा कि भा.स. के प्रशिक्षण महा-निदेशालय ने 2015–16 सत्र के लिए पुनः असंबद्ध कराए बिना आई टी आई में दाखिलों की अनुमति देने की सहमति दी थी (जून 2015)।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि निदेशालय ने सभी आई टी आई को भारतीय गुणवत्ता परिषद (भा.गु.प.) के माध्यम से एन सी वी टी के साथ ट्रेड की पुनः संबद्धता के अनुदेश जारी किए थे (अप्रैल 2014), फिर भी केवल दो आई टी आई⁷⁹ ने सितंबर 2014 में ट्रेड की पुनः संबद्धता हेतु भा.गु.प. में आवेदन किया, परन्तु केवल सिरिफोर्ट आई टी आई के ट्रेड को पुनरुसंबद्धित किया गया। शेष आई टी आई उपकरणों तथा मशीनरी और अन्य अवसंरचना जैसे कंप्यूटर लैब कार्मिक की कमी इत्यादि की कमियों के कारण पुनरुसंबद्धता हेतु आवेदन नहीं कर सके।

दो आई टी आई⁸⁰ टिन की छत वाली ईमारत में चल रहे हैं और आई टी आई शाहदरा की ईमारत लम्बे समय से जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी इसलिए ये आई टी आई अपने ट्रेड की पुनः असंबद्धता के अधिकारी नहीं थे।

(ii) **विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत उ.के. के कार्यान्वयन में त्रुटियाँ (पैरा 2.2.10 तथा 2.2.10.1):** उत्कर्ष केन्द्र (उ.के.) स्कीम के अंतर्गत तीन आई टी आई में आरंभ किया कोई भी ट्रेड एन सी वी टी के साथ संबद्ध नहीं था। आई टी आई पूसा अरब की सराय तथा धीरपुर में कुछ त्रुटियाँ थीं। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को आई टी आई के उन्नयन तथा मशीनों व उपकरणों की कमी से संबद्धित निर्देश जारी किए जा रहे थे।

सहायक निदेशक (परीक्षा)ने सभी प्रधानाचार्यों को मार्च 2013 तक मॉड्यूल की एन सी वी टी संबद्धता प्राप्त करने के लिए डी जी ई एवं टी को कार्रवाई योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए (दिसम्बर 2012)। फिर भी, चयनित आई टी आई द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई योजना प्रस्तुत नहीं की गई।

ए टी एन के अनुसार अगस्त 2015 से उ.के. स्कीम को शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (शि.प्रशि. स्की.) में परिवर्तित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित आई टी आई में अभी तक मशीनों व उपकरणों की कमी जारी थी।

⁷⁹आई टी आई धीरपुर तथा सिरिफोर्ट

⁸⁰तिलक नगर (महिलाएं) तथा मोरीगेट (महिलाएं)

अभीष्ठ क्षेत्रों में पूरी प्रगति:

(i) नये ट्रेड के शुरूआत करने में कमी (2.2.7.1): डी.जी.ई.एंड.टी. द्वारा चिन्हित 32 नए ट्रेड जिनकी शुरूआत होनी थी, में से केवल 13 आरंभ किए गए। विभाग ने कहा था (जनवरी 2014) कि इस संबंध में एक समिति गठित की जाएगी।

समिति जनवरी 2014 में गठित की गई तथा उसकी सिफारिशों पर 2015–16 के सत्र में कुछ ट्रेड को हटाया गया तथा नये ट्रेड आरंभ किए गए।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक सिफारिश जैसे 'ट्रेड तथा इकाईयों की संबद्धता को उच्च प्राथमिकता देना' से संबंधित एक अभ्युक्ति पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया था; जबकि तीन सिफारिशों नामतः (i) "विद्युत की संविदा माँगो तथा टैरिफ दरों की समीक्षा", (ii) "स्कूल के बच्चों के बीच विभिन्न ट्रेड क्षेत्रों की जानकारी फैलाने के लिए कदम उठाना तथा आई टी आई में ड्रापआउट दर को रोकने के लिए काऊंसलिंग का प्रबंध करना", तथा (iii) "गुणवत्ता प्रशिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नेशनल काऊंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एन सी वी टी) के मानकों तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ एंप्लोएमेंट एंड ट्रेनिंग (डी जी ई एंड टी) के मानकों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराना" को 21 अभ्युक्तियों के मामले में आंशिक रूप से कार्यान्वित पाया गया तथा एक अभ्युक्ति "ट्रेड में उपयुक्त अवसंरचना के बिना 106 नई इकाईयों की शुरूआत" को कार्यान्वित नहीं किया गया।

मामला सरकार को जनवरी 2016 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

नई दिल्ली

दिनांक: 06 मई 2016

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 06 मई 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक